राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

जयपुर के

समक्ष

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

द्वारा

विव 2018–19 के लिए

समग्र राजस्व आवश्यकता

के अनुमोदन हेतु

दायर याचिका

(विव 2014–15 से विव 2018–19 तक की

बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रणावधि)

टिप्पणियां :

इस आवेदन में :

(एन–1) वर्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 (विव 17 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित

(एन) वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 (विव 18 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित

(एन + 1) वर्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 (विव 19 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित

इस आवेदन में उपयोग में आये सभी मौद्रिक आंकड़े, जब तक कि विशिष्टतः अन्यथा उल्लिखित न हो, करोड़ रू. में है।

इस आवेदन में उपयोग में आयी सभी ऊर्जा इकाइयां, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, मिलियन इकाइयों में है।

संक्षेपणों की सूची

आवेदन	विव 2018–19 के लिए बवटै के अनुमोदन हेतु आवेदन
जयपुर डिस्कॉम, जविविनिलि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाराआ	वार्षिक राजस्व आवश्यकता
बवटै	बहुवर्षीय टैरिफ
प्रआटै	प्रपुंजापूर्ति टैरिफ
सेकलाउयो	सेवा कनेक्शन एवं लाईनों के लिए उपभोक्ताओं का योगदान
सीपीपी	केपटिव पॉवर प्लांट
घसे	घरेलू सेवा
अउआ	अतिरक्त उच्च आतति
विअ 2003	विद्युत अधिनियम, 2003
विपुयो	वित्तीय पुनर्संरचना योजना
विव	वित्तीय वर्ष
विव 17	वित्तीय वर्ष 2016–17
विव 18	वित्तीय वर्ष 2017–18
विव 19	वित्तीय वर्ष 2018–19
सस्थाप	सकल स्थाई परिसम्पत्तियां
भास	भारत सरकार
रास	राजस्थान सरकार
ग्रिस	ग्रिड सब स्टेशन
उआ	उच्च आतति
किवोए	किलो वोल्ट एम्पीयर
किवा	किलोवाट
किवाध	किलोवॉट घण्टा या इकाई
निआ	निम्न आतति
अमांसू	अधिकतम मांग सूचक
मऔश	मध्यम औद्योगिक शक्ति
मि.यू.	मिलियन यूनिट
अघसे	अघरेलू सेवा
नि.स्था.परि.	निवल स्थाई परिसम्पत्तियां
भानाविनिलि	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
श्राजविनि	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
उक्षेभाप्रेके	उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
श्राताविनि	राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम
भाग्रिविनिलि	भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड
साजदा	सार्वजनिक जलदाय
राविविआ/आयोग	राजस्थान राज्य विनियामक आयोग
श्राविप्रनिलि	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
राविउनिलि	राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

ग्राविनि	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
रू.	भारतीय रूपये
राराविम/म.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
लऔश	लधु औद्योगिक शक्ति
सअमा	समानान्तर अधिकतम मांग
राभाप्रेके	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
रा.प्र.यू.	राज्य प्रसारण यूटिलीटि
गै–अवि	गैर– अनुसूचित विनिमय
याचिकाकर्ता/यूटिलीटि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़

विषय वस्तु की सारणी

अ 1:	**विव 2018–19 के लिए प्रक्षेपण**		
अ 2:	**विव विव 2018–19 के लिए ऊर्जा विक्रय तथा आवश्यकता**		
		विगत वर्षों का ऊर्जा विक्रय	
		कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण	
		विव 2018–19 के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण	
		कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय का प्रक्षेपण	
		कृषि मीटरित श्रेणी	
		कृषि फ्लेट (अमीटरित) श्रेणी	
		विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण का सारांश	
		विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए वितरण हानि	
		विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा आवश्यकता	
अ 3:	**विव विव 2018–19 के लिए विद्युत क्रय प्रमात्रा तथा लागत**		
		ऊर्जा उपलब्धता तथा ऊर्जा संतुलन	
		विव विव 2018–19 के लिए विद्युत क्रय लागत	
		स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभार	
		प्रसारण तथा राभाप्रेके प्रभार	
अ 4:	**पूंजी निवेश प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य तथा पूंजीकरण**		
अ 5:	**विव विव 2018–19 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता**		
		परिचालन एवं संधारण व्यय	
		बीमा व्यय	
		सेवान्त लाभ	
		दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज, प्रतिभूति निक्षेप एवं अन्य वित्त प्रभार	
		विगत वर्षों के लिए अनिधिबद्ध राजस्व अन्तर पर ब्याज	
		कार्यशील पूंजी पर ब्याज	
		ह्रास	
		साम्या पर प्रतिफल	
		गैर– टैरिफ आय तथा अन्य आय	
		विलम्बित भुगतान शुल्क पोषण पर ब्याज	

		विव विव 2018–19 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता	
अ 6:	**विद्यमान टैरिफ से राजस्व**		
		राज्य सरकार से सहायिकी	
		विद्यमान टैरिफ पर राजस्व धाटा	
अ 7:	**राजस्व घाटे का उपचार**		
		दर युक्तिकरण	
		शीघ्र भुगतान छूट	
अ 8:		दिनांक 2 नवम्बर 2017 के टैरिफ आदेश में माननीय आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना	
अ 9:		प्रार्थना	

सारणियों की सूची

सारणी–1	ऊर्जा बिक्री में विगत प्रवृति (मि.यू)	
सारणी–2	विव 19 के लिए कृषि उपभोक्ताओं को छोड कर अन्य को प्रक्षेपित बिक्री (मि.यू.)	
सारणी–3	कृषि मीटर श्रेणी के लिए प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित सम्बन्ध भार (कि.वा.)	
सारणी–4	प्रक्षेपित विशिष्ट खपत (किवाध/किवा./वर्ष) कृषि मीटर श्रेणी के लिए	
सारणी–5	कृषि मीटर श्रेणी के उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या	
सारणी–6	विव 19 के लिए कृषि मीटर उपभोक्ताओं को प्रक्षेपित बिक्री	
सारणी–7	कृषि फ्लेट दर के लिए प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित सम्बध भार (कि.वा.)	
सारणी–8	कृषि फ्लेट दर श्रेणी में उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या	
सारणी–9	कृषि फ्लेट दर उपभोक्ताओं को अनुमानित बिक्री	
सारणी–10	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल बिक्री (मि.यू.)	
सारणी–11	वितरण हानि में कमी की योजना (प्रतिशत)	
सारणी–12	वितरण हानियां और वितरण परिधि इंटरफेस पर ऊर्जा की आवश्यकता	
सारणी–13	विव 17, 18 और 19 के लिए आर. पी. ओ. लक्ष्य	
सारणी–14	विव विव 2018–19 के लिए ऊर्जा की उपलब्धता (मि.यू.)	
सारणी–15	स्त्रोतवार ऊर्जा विव विव 2018–19 के लिए (मि.यू.)	
सारणी–16	विव विव 2018–19 के लिए ऊर्जा संतुलन	
सारणी–17	ट्रांसमिशन और राज्य भार प्रेषण प्रभार (करोड रू.)	
सारणी–18	विव विव 2018–19 के लिए विधुत क्रय लागत (करोड रू.)	
सारणी–19	अधिशेष/घाटा विव विव 2018–19 के लिए (करोड रू.)	
सारणी–20	पूंजी निवेश, प्रगतिशील कार्य और पूंजीकरण विव 19 के लिए (करोड रू.)	
सारणी–21	विव 19 के लिए ओ एण्ड एम व्यय हेतु प्रति यूनिट आदर्श के अनुसार	
सारणी–22	विव 19 के लिए संचालन और रख रखाव का व्यय (करोड रू.)	
सारणी–23	बीमा व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–24	सेवान्त लाभ (करोड़ रू.)	

सारणी–25	दीर्धकालीन ऋण, सुरक्षा जमा तथा वित्त प्रभार पर ब्याज (करोड़ रू.)	
सारणी–26	विव 2018–19 के लिए अनिधिबद्व राजस्व अन्तर	
सारणी–27	विगत वर्षों के अनिधिबद्व राजस्व अन्तर पर ब्याज देयता (करोड़ रू.)	
सारणी–28	कुल ब्याज तथा वित्त व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–29	कार्यशील पूंजी पर ब्याज (करोड़ रू.)	
सारणी–30	विव 2018–19 के लिए मुल्यह्रास (करोड़ रू.)	
सारणी–31	विव 2018–19 के लिए विलम्ब शुल्क की मूल राशि के धन पर ब्याज (करोड़ रू.)	
सारणी–32	विव 19 हेतु गैर शुल्क व विधुत परिवहन से आय (करोड़ रू.)	
सारणी–33	विव 19 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (करोड़ रू.)	
सारणी–34	वर्तमान टैरिफ पर विधुत विक्रय से राजस्व (करोड़ रू.)	
सारणी–35	राज्य सरकार द्वारा सहायिकी (करोड़ रू.)	
सारणी–36	विव 19 के लिए वर्तमान टैरिफ से राजस्व घाटा (करोड़ रू.)	
सारणी–37	निर्देशों की अनुपालना	

अ 1. 2018–19 के लिए प्रक्षेपण

1.1 विद्युत अधिनियम की धारा 61 राज्य विनियामक आयोग (इस मामले में राविविआ) को टैरिफ के विनिर्धारण की निबन्धन व शर्तें निर्धारित करने के लिए सशक्त करती है तथा निर्धारित करती है कि ऐसा किये जाने में आयोग अन्य बातों के साथ बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों धारा 61(एफ) से नियंत्रित होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में याचिकाकर्ताओं के लिए विनियम विहित करते समय राज्य आयोग केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) द्वारा विहित विनियमों से भी नियंत्रित होगा।

1.2 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राविविआ) ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2014, 27 मार्च 2014 को विव 2014–15 से विव 2018–19 की तृतीय नियंत्रणावधि के लिए अधिसूचित किये। द्वितीय नियंत्रणावधि समाप्त होने के बाद 1 अप्रेल, 2014 से विव 2014–15 से विव 2018–19 तक की तृतीय बहुवर्षीय नियंत्रणावधि शुरू हुयी।

1.3 राविविआ ने नियंत्रणावधि विव 2014–15 से विव 2018–19 के विव वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ आदेश 2 नवम्बर 2017 को अधिसूचित किया।

1.4 राविविआ टैरिफ विनियम 2014 का विनियम 11 (1) निर्धारित करता है कि याचिकाकर्ता समग्र राजस्व आवश्यकता के पूर्वानुमान, विद्यमान टैरिफ से प्रत्याशित राजस्व तथा नियंत्रणावधि के आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित टैरिफ, प्रयोज्य शुल्क के साथ प्रस्तुत करेगा।

1.5 याचिकाकर्ता ने 2018–19 के लिए वाराआ के प्रक्षेपणों के लिए यथासम्भव राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अनुसार प्रतिमानों की पालना करने का प्रयास किया है। याचिकाकर्ता ने बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रणावधि विव 2014–15 से विव 2018–19 के 2018–19 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता तैयार किये जाने में विव 2016–17 (एन–1 वर्ष) के अंकेक्षित लेखों का, उपयोग किया है, जिसे इस आवेदन के पश्चात्वर्ती

भागों में सारांशित किया गया है।

अ 2. 2018–19 के लिए ऊर्जा विक्रय तथा आवश्यकता

2.1 राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के उपाबन्ध 75 में यथाविहित, याचिकाकर्ता ने नियंत्रणावधि के पंचम वर्ष विव 2018–19 में ऊर्जा विक्रय के प्रक्षेपण हेतु उपभोक्ताओं, सम्बद्ध भार तथा ऊर्जा विक्रय में विगत संवृद्धि का उपयोग किया है।

2.2 याचिकाकर्ता ने आयोग द्वारा पिछले टैरिफ आदेशों में अनुमोदित कार्यप्रणाली का उपयोग किया है। विक्रय का प्रक्षेपण करते समय विभिन्न ग्राहक श्रेणी के ऊर्जा विक्रय को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों को भी ध्यान में रखा है।

2.3 याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016–17 के प्रथम 6 माह की तुलना में वर्ष 2017–18 के प्रथम 6 माह में श्रेणीवार वृद्धि देखी है। इस वृद्धि को वर्ष 2017–18 की संशोधित वृद्धि के प्रक्षेपण की गणना के लिए वर्ष 2016–17 की संशोधित प्रक्षेपित विद्युत विक्रय पर लगाया गया है।

2.4 पूर्ववर्ती आंकडों के आधार पर याचिकाकर्ता ने विगत 3, 5, तथा 7 वर्षो की सीएजीआर के अनुसार श्रेणीवार गणना की है। वित्त वर्ष 2017–18 के ऊर्जा विक्रय के संशोधित प्रक्षेपणो पर उक्त सीएजीआर को लागू कर वित्त वर्ष 2018–19 के ऊर्जा विक्रय का प्रक्षेपण किया गया है।

2.5 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि याचिकाकर्ता के अनुभव व नवीनतम उपलब्ध आंकडों के आधार पर बिक्री में वृद्धि की प्रवृति का यह सबसे उचित अनुमानक है। इसके अतिरिक्त निवेदन है कि जहां भी यह अनुमानक प्रवृति अनुचित या अस्थिर लगी है, वृद्धि के कारकों को उचित व और अधिक यथार्थवादी अनुमानों को आधार बनाया गया है।

2.6 तथापि निम्न घटनाऐं याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर है जिन पर बिक्री पूर्वानुमानों पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में, राजस्व आवश्यकता को, ऐसा परिवर्तन याचिकाकर्ता के युक्तिसंगत नियंत्रण से बाहर होने पर समायोजित किया जा सकता है :

(अ) उपभोक्ताओं का खुले अभिगमन में चले जाने के कारण औद्योगिक विक्रय पूर्वानुमानों में किसी परिवर्तन (धनात्मक या ऋणात्मक) का संघात या आर्थिक मन्दी के कारण उपभोग में गिरावट,

(ब) नियंत्रणावधि के किसी भी वर्ष के लिए याचिकाकर्ता द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति के घण्टों के पूर्वानुमानों में लिये गये स्तर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र को वास्तविक निवेश (इनपुट) में वृद्धि,

(स) बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के अभिवचनानुसार कृषि कनेक्शनों में वृद्धि, तथा

(द) याचिकाकर्ता से पात्र खुले अभिगमन उपभोक्ताओं का प्रव्रजन।

2.7 ऊर्जा विक्रय में अन्तर, विद्युत क्रय लागत तथा वार्षिक राजस्व आवश्यकता मे परितर्वन लायेगा तथा डिस्कॉमों की लाभदायिता को प्रभावित करेगा। इसलिए याचिकाकर्ता अपना प्रकरण निष्पादन की वार्षिक समीक्षा/ट्रयूअप के समय ऐसे समग्र अन्तर को समायोजित करने के उपायों के साथ प्रस्तुत करने का निवेदन करता है।

विगत वर्षों का ऊर्जा विक्रय

2.8 निम्नलिखित सारणी विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को विगत वर्षों के दौरान वास्तविक विक्रीत ऊर्जा को सारांशित करती है–

सारणी 1: ऊर्जा विक्रय में विगत प्रवृति (मिलियन इकाइयां)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 10	विव 11	विव 12	विव 13	विव 14	विव 15	विव 16	विव 17
घरेलू	2658	3032	3142	3491	3761	4068	4418	4,803
अघरेलू	898	996	1188	1550	1573	1805	1966	2,130
सार्वजनिक पथ प्रकाश	79	92	110	129	143	168	175	188
कृषि (मी.)	2777	3288	4148	5135	4258	4715	5238	5,664
कृषि (फ्लेट)	1153	1011	783	724	581	530	517	468
लघु उद्योग	248	279	267	277	274	335	301	315
मध्यम उद्योग	548	619	637	664	722	770	735	727
वृहद उद्योग	3095	3520	3835	3721	3482	4294	3415	3,938
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	207	222	218	199	195	218	229	241
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	26	26	26	27	32	37	41	41
सार्वजनिक जलदाय (वृहत)	114	107	143	189	200	218	259	304
मिश्रिम भार प्रपुंजापूर्ति	333	430	366	171	161	191	172	209
विद्युत कर्षण	350	330	370	404	404	146	385	216
योग	**12,486**	**13,951**	**15,234**	**16,682**	**15,784**	**17,494**	**17,852**	**19,244**

2.9 फ्लेट रेट कृषि श्रेणी तथा विद्युतकर्षण श्रेणियों को छोड़कर सभी उपभोक्ता श्रेणियो ने ऊर्जा विक्रय में संवृद्धि दर्शायी है। कृषि फ्लेट रेट श्रेणी में कमी की प्रवृति प्राथमिक रूप से उपभोक्ताओं के मीटरित श्रेणी में परितर्वन के कारण है।

2.10 ऊर्जा विक्रय में संवृद्धि निम्नलिखित को अधिरोपित की जा सकती है ।

(अ) याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू कनेक्शनों के लिए लम्बित सभी आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्धता में सुधार का नीतिगत निर्णय,

(ब) अतिरिक्त कनेक्शन दिये जाने तथा जल स्तर के नीचे चले जाने से विद्यमान उपभोक्ताओं के उपभोग में वृद्धि के कारण कृषि (मीटरित) विक्रय बढ़ा है।

(स) इस अवधि के दौरान पूरे देश में सामान्य औद्योगिक समृद्धि के कारण उद्योगो की बिजली खपत में भी बढोतरी हुई है।

2.11 उपरोक्त से यह प्रेक्षित किया जाता है कि उपभोक्ता श्रेणियों को विक्रय, उपभोक्ताओं में वृद्धि, आपूर्ति घण्टों में वृद्धि तथा नीतिगत पहलों के कारण औद्योगिक पुनरूद्धार जैसे विभन्न विषयेतर परिवर्तनशीलता पर निर्भर रहा है। इसलिए विव 2017–18 एवं 2018–19 के लिए विक्रय के प्रक्षेपण, ऊर्जा विक्रय की हाल की प्रवृति तथा अन्तरों, जो भविष्य में ऊर्जा विक्रय को प्रभावित करने जा रहे हैं, को ध्यान में रखते हुये प्रक्षेपित किये गये हैं।

कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर, अन्य श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण

विव 2018–19 के लिए विक्रय का प्रक्षेपण

2.12 विव 2018–19 के लिए ऊर्जा विक्रय ऐतिहासिक विक्रय डैटा के आधार पर माननीय आयोग द्वारा पिछले वर्षों के टैरिफ आदेशों में अनुमोदित कार्यविधि के अनुसार श्रेणीवार सीएजीआर का उपयोग करते हुये प्रक्षेपित किये हैं। जहां पर भी प्रावृति अनुचित पाई गई है वहां पूर्वानुमानों को उचित रूप से समायोजित किया गया है। विक्रय के प्राक्कलन के समय, कृषि श्रेणी को छोड़कर, सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विगत प्रवृतियां उपयोग में लाई गयी हैं। विभिन्न श्रेणियों के विक्रय के प्राक्कलन में अपनायी गयी पूर्वधारणायें तथा कार्यविधि निम्नलिखित पैराग्राफों में विस्तृत की गयी हैं।

2.13 वर्ष 2017–18 के विद्युत विक्रय को वर्ष के प्रथम 6 माह के आंकड़ों की प्रवृति को देखते हुए संशोधित किया गया है जो कि इस वर्ष की याचिका का हिस्सा थे।

2.14 पिछले पांच वर्षों ने घरेलू श्रेणी में उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय में वृद्धि की प्रवृति दर्शायी है। विक्रय में वृद्धि व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रागांग्राविियो के अन्तर्गत सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता में वृद्धि तथा जीवनस्तर में वृद्धि के कारण विद्यमान उपभोक्ताओं के विशिष्ट उपभोग में वृद्वि को आरोप्य है। याचिकाकर्ता को विक्रय की संवृद्धि में यही प्रवृति भविष्य में बने रहने की प्रत्याशा है।

2.15 उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार ने राज्य में, सभी

उपभोक्ताओं (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर) को 24 X 7 विद्युत उपलब्ध करवाने हेतु संयुक्त पहल की है। यह पहल बारहवीं योजना के अन्त तक विद्यमान उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली निर्बाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करने तथा अगले पांच वर्ष में सभी असम्बद्ध उपभोक्ताओं को विद्युत तक अभिगमन उपलब्ध करवाने पर लक्षित है। पहल के अनुसार 2018–19 के दौरान राजस्थान राज्य में छः लाख घरेलू उपभोक्ताओं का परिवर्धन विचारित है।

2.16 यहां यह उल्लेख करना समयाधीन है कि अविधुतिकृत घरों के विधुतिकरण के फलस्वरूप, राज्य में उपभोक्ता मिश्रण में परिवर्तन और साथ ही राज्य सहायिकी वाले उपभोक्ताओं में वृद्धि होगी। याचिकाकर्ता की वित्तिय स्थिति में उपभोक्ता मिश्रण महत्वपूर्ण निर्धारक है और अनुदानित श्रेणी के उपभोक्ताओं में वृद्धि के साथ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन श्रेणियों के लिए टैरिफ, आपूर्ति की औसत लागत के करीब रखी जाए और क्रॉस सब्सिडी के अंतर को कम किया जावे।

2.17 विगत पॉच वर्षों ने अघरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विक्रय में वृद्धि की प्रवृति दर्शायी है। इस श्रेणी में पिछले कुछ वर्षों में विक्रय में द्रुतगामी संवृद्धि हुयी है, जो द्रुतगामी शहरीकरण तथा हाल के विगत मे वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि को आरोप्य है। याचिकाकर्ता भविष्य में संवृद्धि की इस प्रवृति के जारी रहने की प्रत्याशा करता है।

2.18 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि विगत में लघु, मध्यम तथा वृहद उद्योग श्रेणियो के विक्रय में तगड़ी वृद्धि रही है।

2.19 यद्यपि विगत वर्षों में औधोगिक उपभोक्ताओ द्वारा खुली पहुॅच के माध्यम से विद्युत क्रय में वृद्वि के कारण औधोगिक ऊर्जा विक्रय की वृद्वि में कमी हुई थी। परन्तु 2017–18 के प्रथम 6 माह में यह प्रवृति बदलती हुई दिख रही है। याचिकाकर्ता ने इस परिवर्तित परिदृश्य को देखते हुए ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत विक्रय का प्राक्कलन किया है।

2.20 सार्वजनिक जलदाय श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय आंकड़े विगत प्रवृति के आधार पर प्राक्कलित किये गये हैं। पूर्व में सार्वजनिक जल प्रदाय श्रेणी के उपभोग में मौलिक वृद्धि हुई है। सभी विद्युत सम्बन्ध मीटरित है और अभी कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नही है। यद्यपि सार्वजनिक जलदाय प्रदाय (मध्यम) से सार्वजनिक जलदाय प्रदाय (वृहद्) में स्थानान्तरण हुए है। इसलिए इस श्रेणी में ऊर्जा विक्रय को उचित समायोजित किया गया है।

2.21 मिश्रित भार/प्रपुंजापूर्ति श्रेणी के मामले में, पिछले वर्षों में ह्रासवान प्रकृति प्रेक्षित की गयी है, जो मोबाइल टॉवर उपभोक्ताओं तथा निजी संस्थाओं जैसे कतिपय उपभोक्ता समूहों के अघरेलू तथा अन्य श्रेणी में परिवर्तन को अधिरोपित की जा सकती है। हालांकि वित वर्ष 2013–14 के पश्चात् विक्रय में पूर्व वर्षों की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता भविष्य में संवृद्धि की इस प्रवृति के जारी रहने की प्रत्याशा करता है।

2.22 रेल्वे को विद्युत क्रय करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी का दर्जा दिया गया है इसीलिए इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन की श्रेणी के लिए कोई विद्युत विक्रय का प्रक्षेपण नहीं किया गया है।

2.23 **विव 2017–18 तथा** विव 2018–19 के लिए प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (कृषि को छोड़कर) नीचे सारणी में सारांशित किया गया है:

सारणी 02: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 **के लिए श्रेणीवार प्रक्षेपित विक्रय (मि.यू.) (कृषि को छोड़कर)**

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2017–18 (मि.यू.)	विव 2018–19 (मि.यू.)
घरेलू	5,153	5,791
अघरेलू	2,278	2,479
सार्वजनिक पथ प्रकाश	195	208
लघु उद्योग	315	325
मध्यम उद्योग	745	772
वृहद उद्योग	4,820	5,253
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	255	264
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	41	42
सार्वजनिक जलदाय (वृहत)	397	444
मिश्रित भार/प्रपुंजापूर्ति	230	244
विद्युत ट्रेकशन	0	0
योग	**14,428**	**15,185**

कृषि उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण

कृषि मीटरित श्रेणी

2.24 कृषि मीटरित श्रेणी के लिए ऊर्जा विक्रय निम्नलिखित घटकों के आधार पर प्राक्कलित किये गये है :–

(क) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विद्यमान उपभोक्ता,

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं में परिवर्धन,

(ग) ''कृषि फ्लेट'' से ''कृषि मीटरित'' श्रेणी में रूपान्तरित उपभोक्ता,

(ध) प्रति उपभोक्ता सम्बद्धभार,

(ड.) प्राक्कलित विशिष्ट ऊर्जा उपभोग,

कृषि उपभोग = उपभोक्ताओं की संख्या X प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार X विशिष्ट उपभोग

2.25 प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार, पिछले वर्षों में प्रेक्षित की गयी प्रवृति तथा जल स्तर में कमी के कारण प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार में संभावित संवृद्धि के आधार पर पूर्वानुमानित किया गया है। याचिकार्कता ने स्वेच्छिक भार वृद्वि की घोषणा की हैं। जिसके कारण प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार बढने की संभावना है। इसलिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार प्राकलित करने के लिए याचिकाकर्ता ने पिछले सालो से सामान्य वृद्वि पर विचार किया है।

2.26 इस याचिका में पूर्व में वर्ष 2017–18 के सम्बद्ध भार के प्रक्षेपण को प्रथम 6 माह के आंकड़ों को देखते हुए संशोधित किया गया है।

2.27 वर्ष 2017–18 व 2018–19 के लिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्व भार नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी 03: कृषि मीटरिंत प्रति उपभोक्ता का प्रक्षेपित सम्बद्ध भार (कि.वा) का प्राकलन

विशिष्टियां	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार
विव 2017–18	7.63
विव 2018–19	7.86

2.28 विगत वर्षों में मीटर श्रेणी के विशिष्ट उपभोग में वृद्धि हुई है। विशिष्ट उपभोग में वृद्धि की गणना के लिए 3, 5 और 7 वर्ष की सीएजीआर को वर्ष 2017–18 के विशिष्ट उपभोग पर लगाया गया है।

2.29 वर्ष 2017–18 के विशिष्ट उपभोग के प्रक्षेपणों को इस वर्ष के प्रथम 6 माह के आंकड़ों के अनुसार संशोधित किया गया है जो कि इस वर्ष की एआरआर की याचिका में किये गये थे।

सारणी 04: कृषि मीटर श्रेणी के लिए प्रक्षेपित प्रति वर्ष विशिष्ट उपभोग (कि.वा.घ./कि.वा./वार्षिक)

वित वर्ष	विशिष्ट उपभोग
विव 2017–18	1892.78
विव 2018–19	1921.12

2.30 निम्नलिखित सारणी, विव 2017–18 तथा 2018–19 के लिए, कृषि मीटरित श्रेणी को ऊर्जा विक्रय के प्रक्षेपणार्थ माने गये उपभोक्ताओं की संख्या को सारांशित करती है:

सारणी 05: कृषि मीटर श्रेणी के अनुमानित उपभोक्ता संख्या

वर्ष	प्रारम्भिक उपभोक्ता संख्या	वर्ष में सम्मलित नये उपभोक्ता संख्या	फ्लेट रेट से मीटर में स्थानान्तरित संख्या	कुल उपभोक्ता संख्या
विव 2017–18	439,825	2,000	5,500	447,325
विव 2018–19	447,325	15,000	10,000	472,325

2.31 यहां यह उल्लेख करना समयाचीन है कि फ्लेट दर से मीटरित श्रेणी में परिवर्तन वर्ष में किसी भी समय हो सकता है। अतः याचिकाकर्ता ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए 6 माह के लिये मीटर प्रणाली में उपभोग की गणना अनुमानित की है।

2.32 उपरोक्तानुसार विव 2017–18 तथा विव 2018–19 हेतु कृषि मीटर प्रणाली हेतु विद्युत विक्रय का प्राकलन निम्नानुसार सारणी में प्रदेर्शित है:

सारणी 06: कृषि मीटर श्रेणी का प्रक्षेपित उपभोग (मिलियन ईकाई)

विशिष्टियां	विव 2017–18	विव 2018–19
ऊर्जा विक्रय (मि. इकाई)	6,467	7,152

कृषि फ्लेट (अमीटरित श्रेणी)

2.33 कृषि फ्लेट रेट श्रेणी के लिए ऊर्जा विक्रय, निम्नलिखित घटकों के आधार पर प्राक्कलित किया गया है –

(अ) वित्तीय वर्ष की शुरूआत में विद्यमान उपभोक्ता,

(ब) 'कृषि फ्लेट' से 'कृषि मीटरित' श्रेणी में परिवर्तित उपभोक्ता,

(स) प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार

(द) अनुमोदित विशिष्ट ऊर्जा उपभोग

कृषि उपभोग = उपभोक्ताओं की संख्या x प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार x विशिष्ट उपभोग

2.34 प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार, पिछले वर्षों में प्रेक्षित की गयी प्रवृति तथा जल स्तर में कमी के कारण प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार में संभावित संवृद्धि के आधार पर पूर्वानुमानित किया गया है। कृषि फ्लेट रेट (अमीटरित) उपभोक्ताओं के लिए विव 2017–18 व 2018–19 के लिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार के प्राक्कलन के लिए सामान्य वृद्वि ली गई है तथा उसे नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है –

2.35 याचिका में वर्ष 2017–18 के लिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार को इस वर्ष के प्रथम 6 माह के आंकड़ों के अनुसार संशोधित किया गया है जो प्रक्षेपण इस वर्ष की याचिका में किए गए थे।

सारणी 07: कृषि फ्लेट रेट के लिए प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित सम्बद्ध भार (किवा)

वर्ष	सम्बद्ध भार/उपभोक्ता
विव 2017–18	8.33
विव 2018–19	8.58

2.36 याचिकाकर्ता यह भी निवेदन करता है कि माननीय आयोग ने विगत टैरिफ आदेशों में फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट ऊर्जा उपभोग 1945 किवाध/किवा/वर्ष अनुमोदित किया था। इस प्रकार, विव 2017–18 तथा 2018–19 हेतु याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग द्वारा यथानुमोदित उसी विशिष्ट उपभोग 1945/किवाध/किवा/वर्ष को अपनाया है।

2.37 निम्नलिखित सारणी विव 2017–18 तथा विव 2018–19 में कृषि अमीटरित श्रेणी को ऊर्जा विक्रय के प्रक्षेपणार्थ माने गये उपभोक्ता परिवर्धन तथा विशिष्ट उपभोग को सारांशित करती है :

सारणी 08: कृषि फ्लेट रेट श्रेणी में प्रक्षेपित उपभोक्ता की संख्या

वर्ष	प्रारम्भिक उपभोक्ता	फ्लेट से मीटरित में रूपान्तरण	अन्तिम शेष
विव 2017–18	26,142	5,500	20,642
विव 2018–19	20,642	10,000	10,642

2.38 यहां भी यह उल्लेख करना समयाचीन है कि फ्लेट दर से मीटर श्रेणी में परिवर्तन वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता ने ऐसे उपभोक्ताओं की कृषि फ्लेट दर श्रेणी के अंतर्गत बिक्री गणना करने हेतु छ माह का उपभोग अनुमानित किया है।

2.39 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए 'कृषि फ्लेट रेट' श्रेणी के अन्तर्गत प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय नीचे सारणी में सारांशित है –

सारणी 09: कृषि फ्लेट रेट उपभोग का प्रक्षेपण

विशिष्टियां	विव 18	विव 19
ऊर्जा विक्रय (मि. इकाई)	332	175

विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय प्राक्कलनों का सारांश

2.40 ऊपर वर्णित भागों में बतायी गयी कार्यविधि पर आधारित, विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के

लिए विव 2017–18 तथा 2018–19 के लिए उपलब्ध प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय नीचे सारणी में सारांशित है:–

2.41 यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वितरण निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र (वितरण फ्रैंचाईजी को सम्मिलित करते हुए) के लिए विद्युत विक्रय का प्रक्षेपण किया गया है।

सारणी 10: विव 2017–18 तथा 2018–19 के लिए प्रक्षेपित विक्रय (मि.यू.)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2016–17 (मिइ)	विव 2017–18(मिइ)
घरेलू	5,153	5,791
अघरेलू	2,278	2,479
सार्वजनिक पथ प्रकाश	195	208
कृषि (मी.)	6,467	7,152
कृषि (फ्लेट)	332	175
लघु उद्योग	315	325
मध्यम उद्योग	745	772
वृहद उद्योग	4,820	5,253
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	255	264
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	41	42
सार्वजनिक जलदाय (वृहत)	397	444
मिश्रिम भार प्रपुंजापूर्ति	230	244
विद्युत कर्षण	0	0
योग	**21,227**	**23,149**

वित वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 की अवधि के लिए वितरण हानि

2. विव 2016–17 के अन्त में याचिकाकर्ता की वास्तविक वितरण हानि 25.48% प्रतिशत रही।
42

2. राज्य ऊर्जा क्षेत्र को स्वावलम्बी बनाने में वितरण हानियों को कम करने के महत्व से
43 याचिकाकर्ता भलिभाति विज्ञ है इस प्रयोजन हेतु याचिकाकर्ता पहले से ही विभिन्न कदम उठाकर मौजुदा नुकसान के स्तर को नीचे लाने के प्रयास कर रहा है।

2. याचिकाकर्ता की पिछले वर्षों में शुरू किये गये वितरण हानि कमी कार्यक्रम का अनुसरण करने

44 तथा भ्रान्त उपभोक्ताओं को लक्ष्य करने के लिए वृद्धित प्रोद्यौगिकी का उपयोग करने तथा प्रक्षेपण अवधि के दौरान हानियों को कम करने की भावना है। एफ.आई.पी., एस.आई.पी. तथा आरएपीडीआरपी आदि के अन्तर्गत किये जा रहे निवेशों से भी वितरण हानि में कमी प्रत्याशित है।

2.45 यहां यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने गत वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत वितरण हानियों को कम किया है। यह गत वर्षों में किये गये विभिन्न उपायों का परिणाम है। डिस्कॉम वितरण हानियों को और कम करने के लिये वचनबद्ध है और उदय स्कीम में हस्ताक्षरित एमओयू के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

2.46 इन उपायों में अधिक वितरण हानियों वाले क्षेत्र को सीमित विद्युत सप्लाई, 100 प्रतिशत मीटरिंग, बड़े उपभोक्ताओं की एएमआर, फीडर लेवल पर ऊर्जा अंकेक्षण, फीडर पृथक्कीकरण, एक कृषि उपभोक्ता को एक सिंगल फेज ट्रान्सफार्मर से कनेक्शन देना इत्यादि सम्मिलित है। वितरण हानियों को कम करने के लिए खण्ड/वृत/संभागीय स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और अधिकारियों को वितरण हानियों को कम करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। साथ ही विद्युत चोरी को कम करने के लिए और दूसरी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए तीव्र सतर्कता अभियान चलाया गया है इसके अतिरिक्त वितरण हानियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत निवेश भी किया जा रहा है। डिस्कॉम की क्षमता में वृद्धि के लिए बड़ी संख्या में आईटी के उपाय काम में लिए जा रहे हैं जो कि डिस्कॉम को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। आईटी प्रयासों का संक्षिप्त विवरण इस याचिका के सेक्शन अ–7 में उपलब्ध कराया गया है।

2. 47 हानियों में कमी करने हेतु याचि प्रतिबद्ध है। उपरोक्त वर्णित उपायों के क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये जाते है। ये सभी कार्यक्रम याचि, राज्य व केन्द्र सरकार के मध्य हुए समझोते ''उदय योजना'' के अंग है जिसके तहत उच्च स्तर पर प्रयास जारी है।

2.48 क्रियात्मक क्षमता को प्राप्त करने और आमूल चूल सुधार करने के लिये दूसरे उपाय जैसे वितरण हानियों पर आधारित लोड मैनेजमेन्ट, बड़े उपभोक्ताओं के लिए एएमआर मीटरिंग, फीडरों का पृथक्कीकरण इत्यादि भी प्रारंभ किये गये हैं।

2.49 वितरण हानि में कमी के लक्ष्यों का जोनल से उपखण्ड स्तर तक का निर्धारण कर सम्बन्धित अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही विशेष तथ आक्रमक सर्तकता अभियान चलाकर चोरी व दुरूपयोग को रोकने के प्रयास किये जा कर संलिप्त व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त माननीय आयोग द्वारा

निर्धारित वितरण हानि कमी लक्ष्यों की पूर्ती हेतु पूंजीगत निवेश योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

2.50 हानियों में कमी करने हेतु याचि प्रतिबद्ध है। उपरोक्त वर्णित उपायों के क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये जाते है। ये सभी कार्यक्रम याचि, राज्य व केन्द्र सरकार के मध्य हुए समझोते ''उदय योजना'' के अंग है जिसके तहत उच्च स्तर पर प्रयास जारी है।

2.51 यहां यह उल्लेखनीय है कि उदय के अन्तर्गत एमओयू वर्ष 2015–16 के अन्त में हस्ताक्षरित किया गया था इसलिए वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लक्ष्यों को पूरा करने में थोड़ी कमी रही है। उदय योजना के अन्तर्गत किये गये एमओयू लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाईयों का भी ध्यान रखा जाता है और डिस्कॉम को यह छूट दी गई है कि वह वितरण हानियों को कम कर ले जिससे कि वषर्स 2018–19 के अन्त में वितरण हानियां 15 प्रतिशत तक पहुंच जाये।

2.52 विगत वर्षों में प्राप्त परिणामों और वर्ष 2017–18 में वितरण हानियों को कम करने के लिये की गई प्रगति को देखते हुए डिस्कॉम ने 2017–18 के लिए लक्ष्यों को संशोधित किया है और 2018–19 के लिए 15 प्रतिशत वितरण हानियां लाने का लक्ष्य है।

2.53 याचिकाकर्ता माननीय आयोग से निम्नलिखित सारणी में दिये गये लक्ष्यों को ध्यान में रखने का निवेदन करता है।

सारणी 11 : वितरण हानियों में कमी की योजना (प्रतिशत)

विशिष्टियां	विव 18	विव 19
वितरण हानियां (प्रतिशत)	20.00%	15.00%

विव 2018–19 के लिए ऊर्जा आवश्यकता

2.54 याचिकाकर्ता ने विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए ऊर्जा आवश्यकता प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय तथा वितरण हानियों के आधार पर, विनि के अन्तरापृष्ठ पर प्राक्कलित की है–

सारणी 12: वितरण हानियां तथा राविप्रनि के अन्तरापृष्ठ पर ऊर्जा आवश्यकता

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
उपभोक्ताओं को कुल ऊर्जा विक्रय (मि.ई.)	21,227	23,149
वितरण हानि प्रतिशत	20%	15%
विनि अन्तरापृष्ठ बिन्दु पर डिस्कॉम की कुल ऊर्जा आवश्यकता (मि.ई.)	**26,534**	**27,235**

अ 3: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए विद्युत क्रय मात्रा तथा लागत

ऊर्जा उपलब्धता तथा ऊर्जा संतुलन

ऊर्जा उपलब्धता

3.1 वर्ष 2018–19 की ऊर्जा आवश्यकता विव 2016–17 की ऊर्जा क्रय तथा 2017–18 की छः माह की ऊर्जा क्रय के आधार पर प्राकलित की गयी है।

3.2 विव 2018–19 के लिए ऊर्जा उपलब्धता वर्तमान कार्यरत व प्रस्तावित नवीन उत्पादन केन्द्रों के आधार पर प्रक्षेपित है। याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि वर्तमान उत्पादन संयत्र से विद्युत क्रय की मात्रा के निर्धारण के लिए पिछले सालों मे प्राप्त ऊर्जा को ध्यान में रखा गया है। याचिका कर्ता ने मौजूदा बिजली स्थति का विश्लेषण किया है। और तद्नुसार ऊर्जा आवश्कता व वरीयता सिद्वान्त के आधार पर ऊर्जा क्रय का प्रक्षेपण किया गया है। ऐसे स्टेशन जो कि वर्ष 2017–18 मे स्थापित हुऐ हैं और वर्ष में कुछ समय के लिए ही उपलब्ध थे, ऐसे स्टेशनों से ऊर्जा क्रय की गणना उसकी क्षमता, संयत्र भार घटक और सहायक उपभोग के आधार पर की गई है।

3.3 नये विधुत स्टेशनों से विधुत क्रय, राजस्थान राज्य को विनिहित हिस्से/अनुबन्ध आधार प्रतिशतता में माना गया है। प्लान्ट लोड फेक्टर व सहायिकी ऊर्जा खपत का निर्धारण पूर्ववर्ती रूझान और माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार प्रस्तावित है। वर्ष के लिये इस प्रकार के नये स्टेशनों से बिजली खरीद की गणना तिथि, इनके प्रस्तावित वाणिज्यिक तिथि से की गयी है।

3.4 यह निवेदन है कि याचिकाकर्ता अक्षय स्त्रोतों से क्रय हेतु ईमानदारी से प्रयास कर रहा है और अक्षय स्त्रोतों से खरीद लगातार बढ रही है। अब यह माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अक्षय क्रय अनिवार्यता बाध्यता के करीब है।

3.5 राजस्थान, भारत में सौर एवं पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु उच्चतम स्थापित क्षमता वाला राज्य है। पवन ऊर्जा उत्पादन फर्म क्षमता का लगभग 20% राजस्थान में है। इसके बावजूद भी राजस्थान की वितरण कम्पनियां अपने आर.पी.ओ. दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रही है।

3.6 अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्वों को पूरा करने में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुये, पर्याप्त जल स्त्रोतों को अक्षय स्त्रोतों के साथ एकीकरण में संचालित किया जा सकता है जिससे कि अक्षय ऊर्जा को अवशोषित करने की कमी दूर हो सकेगी। अक्षय ऊर्जा की कमी, राज्य की मांग व वितरण कम्पनियों के ऊपर आ रहे आर्थिक भार के मध्यनजर, माननीय आयोग तथा अक्षय ऊजा मंत्रालय को, अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों को संशोधित करने हेतु निवेदन किया गया है।

3.7 तदन्तर निवेदन है कि 2018–19 हेतु अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों को माननीय आयोग के प्रस्तावित आरपीओ के लक्ष्यों के अनुसार प्रक्षेपित किया गया है।

3.8 उपरोक्त वर्णनानुसार याचिकाकर्ता ने 2017–18 हेतु संशोधित स्त्रोतवार ऊर्जा क्रय व 2018–19 हेतु प्रक्षेपित स्त्रोतवार ऊर्जा क्रय की गणना की है और माननीय आयोग से अनुमोदन हेतु विनम्र प्रार्थना है।

3.9 याचिकाकर्ता ने विव 2017–18 के लिए 3.89% प्रतिशत राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां माननीय आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार आंकलित की है। तथा अर्न्तराज्यीय प्रसारण हानियां टैरिफ आदेश टैरिफ आदेश 2 नवम्बर 2017 के अनुसार 3.15 प्रतिशत अंकलित की है। याचिकाकर्ता ने इसी आधार पर विव 2018–19 के लिए भी राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां तथा अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां मानी हैं।

3.10 विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए समस्त स्त्रोतों से कुल ऊर्जा उपलब्धता नीचे दी गयी सारणी में सारांशित की गयी है –

सारणी 13: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए ऊर्जा उपलब्धता (मि.यू.)

विशिष्टियां	विव 17	विव 18
राज्य के बाहर के स्त्रोतों से सकल उपलब्ध ऊर्जा (अ)	9175	11296
अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां (प्रतिशत)	3.15%	3.15%
अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां (मि.इ.)	289	356
राज्य के बाहर से निवल उपलब्ध ऊर्जा	8886	10940
जोड़ें– राज्य के भीतर उत्पादित ऊर्जा (ब)	20536	20060
राज्य में उपयोग हेतु उपलब्ध निवल ऊर्जा	**29422**	**31000**
राज्यान्तरिक प्रसारण हानि (प्रतिशत)	3.89%	3.89%
राज्यान्तरिक प्रसारण हानि (मि.इ.)	1145	1206
वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा	**28277**	**29794**
योग (अ)+(ब)	**29711**	**31356**

सारणी 14: स्त्रोतवार ऊर्जा, विव 2017–18 तथा विव 2018–19 (मि.यू.)

विशिष्टियां	विव 18	विव 19
स्त्रोतवार क्रेत ऊर्जा		

भाताविनि	2,367	3,361
भाजविनि	662	662
राविउनि	10,675	5,786
राजवेस्ट	2,331	2,596
भानाविनिलि	1,116	1,116
साझेदारी परियोजनायें	1,288	1,288
आइपीपी / यूएमपीपी	6,179	6,980
गैर– पारम्परिक	3582	4,364
नए स्टेशन	1,066	4,759
अन्य	445	445
योग	**29,711**	**31,357**

विव 2018–19 के लिए ऊर्जा संतुलन

3.11 अनन्तिम तथा प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय पर आधारित, वितरण हानि कमी योजना, आहरण अनुपात तथा अनुवर्ती अन्तर्राज्यीय विक्रय पर आधारित विद्युत क्रय के अनुसार विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए जविविनिलि का ऊर्जा संतुलन नीचे सारणी में सारांशित किया गया है ।

सारणी 15: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए ऊर्जा संतुलन

विशिष्टियां	इकाइयां	विव 18	विव 19
प्राक्कलित विक्रय	(मि.यू.)	21,227	23,149
वितरण हानियां	%	20.00%	15.00%
वितरण हानियां	(मि.यू.)	**5,307**	**4,085**
डिस्कॉम परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता	(मि.यू.)	26,534	27,235
राज्यान्तरिक प्रसारण हानि	(प्रतिशत)	3.89%	3.89%
राज्यान्तरिक प्रसारण हानि	(मि.यू.)	1,074	1,102
राज्य परिधि पर ऊर्जा	(मि.यू.)	**27,608**	**28,337**
राज्य स्त्रोतों से उपलब्ध ऊर्जा	(मि.यू.)	20,536	20,060
राज्य के बाहर के स्त्रोतों से उपलब्ध ऊर्जा	(मि.यू.)	7,071	8,276

अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां	(प्रतिशत)	3%	3%
अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां	(मि.यू.)	230	269
निवल ऊर्जा आवश्यकता	**मि.इ.**	**27,838**	**28,606**
कुल ऊर्जा क्रय		**29,711**	**31,356**
ऊर्जा अधिशेष/(कमी)	**मि.इ.**	**1,873**	**2,750**

विव 2018–19 के लिए विद्युत क्रय लागत स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभार

3.12 याचिकाकर्ता ने, विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए, विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत क्रय लागत, निम्नलिखित पूर्वधारणाओं पर आधारित प्रक्षेपित की है :

(क) आरवीयूएन स्टेशनों के स्थाई और परिवर्तनशील प्रभारों के प्रक्षेपण के लिए याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.11.2017 में अनुमोदित प्रति यूनिट मूल्य को ध्यान में रखा है।

(ख) दूसरे संयंत्रों के लिए वर्ष 2017–18 के परिवर्तनशील प्रभारों की गणना के लिए 2 प्रतिशत की वृद्धि प्रति यूनिट परिवर्तनशील प्रभार पर लगाई गई है। यह वृद्धि वर्ष 2017–18 के प्रथम 6 माह में हुई वृद्धि के अनुरूप है। यद्यपि वर्ष 2018–19 के लिए कोई वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। वर्तमान संयंत्रों के स्थाई प्रभारों के लिए वर्ष 2016–17 के स्थाई प्रभारों के समतुल्य स्थाई प्रभारों को ध्यान में रखा गया है।

(ग) वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 चालू होने वाले उत्पादन केन्द्रों के मामलों में स्थाई प्रभारों तथा परिवर्तनीय प्रभारों के लिए उसी प्रकृति के उत्पादन केन्द्रों के समकक्ष गणना की गयी है।

(घ) विद्युत क्रय लागत का विनिर्धारण करते समय विव 2017–18 तथा 2018–19 के लिए अन्य प्रभारों (उपकर, विद्युत शुल्क आदि सहित) पर विचार नहीं किया गया है। यह निवेदन है कि विव 2017–18 तथा 2018–19 की वास्तविक ऊर्जा क्रय पर ट्रयूअप के समय विचार कर लिया जाये।

प्रसारण एवं राभाप्रेके प्रभार

3.13 विव 2017–18 के लिए प्रसारण प्रभार की विव 2016–17 के वास्तविक प्रभार पर 10 प्रतिशत वृद्धि मानते हुए गणना की गयी है। यद्यपि वर्ष 2018–19 के प्रसारण प्रभारों

के लिए प्रक्षेपण के लिए कोई वृद्धि परिकल्पित नहीं की गई है।

3.14 यह निवेदन है कि विव 2017–18 तथा 2018–19 की वास्तविक ऊर्जा क्रय पर ट्रयूअप के समय विचार कर लिया जाये।

3.15 विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए माने गये प्रसारण एवं राभाप्रेके प्रभार नीचे सारणी में दिये गये हैं –

सारणी 16: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए प्रसारण तथा राभाप्रेके प्रभार (करोड़ रू.)

प्रसारण प्रभार	विव 2017–18	विव 2018–19
भाविग्रिनिलि	687.19	687.19
राविप्रनि	897.84	897.84
राभाप्रेके	7.51	7.51
उक्षेभाप्रेके	1.12	1.12
कुल प्रसारण एवं राभाप्रेके	**1,593.67**	**1,593.67**

कुल विद्युत क्रय लागत

3.16 विव 2017–18 के लिए संशोधित विद्युत क्रय लागत तथा विव 2018–19 के लिए विभिन्न स्त्रोतों से प्रक्षेपित विद्युत क्रय लागत नीचे सारणी में सारांशित की गई है :

सारणी 17: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 में विद्युत क्रय लागत (करोड़ रू.)

स्टेशन	विव 18	विव 19
भाताविनि	726.51	895.9
भाजविनि	243.73	243.73
राविउनि	4,276.38	2,792.90
राजवेस्ट	944.66	1,001.10
भानाविनिलि	337.74	337.74
साझेदारी परियोजनायें	90.85	90.85
आइपीपी / यूएमपीपी	2,195.58	2,329.93
गैर– पारम्परिक	1829.93	2217.35
नए स्टेशन	375.57	2,050.82
अन्य	161	161

योग	**11,181.95**	**12,121.32**
प्रसारण प्रभार	1,593.67	1,593.67
कुल विद्युत क्रय लागत	**12,775.62**	**13,714.99**

3.17 विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत क्रय लागत का ब्यौरा प्रपत्र 3.1 में दर्शाया गया है।

अ 4: पूंजी निवेश, प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य एवं पूंजीकरण

4.1 याचिकाकर्ता ने 2017–18 के पूंजीगत निवेश को संशोधित निवेश योजनानुसार संशोधित किया है। याचिकाकर्ता ने वित वर्ष 2018–19 के लिए निवेश योजना माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है।

4.2 नीचे दी गई सारणी प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय योजना, प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य तथा विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के दौरान पूंजीकरण को सारांशित करती है :

सारणी 18: विव 18 तथा विव 19 के लिए पूंजी निवेश, प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य तथा पूंजीकरण (करोड़ रू.)

विवरण	विव 18	विव 19
प्रारम्भिक प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य	710.86	474.30
जोड़ें – वर्ष के दौरान पूंजी निवेश	1660.64	1673.08
उप– योग	**2371.50**	**2147.38**
घटायें – वर्ष के दौरान पूंजीकृत परिसम्पत्तियां (सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को स्थानान्तरित)	1897.20	1717.90
अन्तिम पूंजीगत प्रगत्याधीन कार्य	**474.30**	**429.48**

अ 5: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता

परिचालन एवं संधारण व्यय

5.1 परिचालन एवं संधारण (प.एवं.सं.) व्ययों में कर्मचारी व्यय, मरम्मत एवं संधारण (म.एवं.सं) व्यय तथा प्रशासकीय व सामान्य (प्र.एवं.सा.) व्यय निहित हैं।

5.2 वितरण व्यवसाय के लिए प.एव.सं. व्यय के प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिमान विक्रीत ऊर्जा की प्रति इकाई पर आधारित है तथा राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 83 के अन्तर्गत निर्धारित हैं।

5.3 उपरोक्त टैरिफ विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रणावधि (अर्थात् विव 2014–15) के प्रारम्भण पर अनुज्ञात प्रासमिक प.एव.सं. व्ययों को नियंत्रणावधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 5.85 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर बढाया जाना है।

5.4 प.एव.सं. व्ययों का राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 83 में विनिर्धारित प्रतिमानों तथा वर्ष के लिए प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय को गुणा करके विनिर्धारण किया जाता है। नियंत्रणावधि विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के चतुर्थ एवं पंचम वर्ष लिए प्रत्येक अवयव हेतु प्रति इकाई प्रतिमान निम्नानुसार है :

सारणी 19: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए प्रतिमानित प्रचालन एवं संधारण व्यय दर

(रू./किवाध)

विवरण	विव 18	विव 19
कर्मचारी व्यय	0.45	0.48
प्र.एवं.सा. व्यय	0.05	0.05
म.एव.सं. व्यय	0.09	0.10

5.5 विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए प्रक्षेपित प्रासमिक प.एवं.सं व्यय ऊपर वर्णित कार्यविधि के अनुसार परिकलित हैं तथा व्यय नीचे सारणी में सारांशित हैं :

सारणी 20: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए परिचालन एवं संधारण व्यय

विशिष्टियां	विव 18	विव 19
कर्मचारी लागत		
प्रति इकाई प्रतिमान	0.45	0.48
प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (मि.इ.)	21,227	23,149
सकल कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)	**956.64**	**1104.30**
घटायें – पूंजीकरण (करोड़ रू.)	*311.70*	*359.81*
निवल कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)	**644.94**	**744.49**
प्र.एवं.सा. व्यय		
प्रति इकाई प्रतिमान	0.05	0.05
प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (मि.इ.)	21,227	23,149
सकल प्र.एवं.सा. व्यय (करोड़ रू.)	**100.70**	**116.24**
घटायें – पूंजीकरण (करोड़ रू.)	*14.79*	*17.07*
निवल प्र.एवं. सा. व्यय	**85.91**	**99.17**
म.एव.सं. व्यय		
प्रति इकाई प्रतिमान	0.09	0.10
प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (मि.इ.)	21,227	23,149
म.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.)	**201.40**	**232.48**
सकल प.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.)	**1258.73**	**1453.03**

घटायें – पूंजीकृत व्यय (करोड़ रू.)	*326.49*	*376.88*
निवल प.एव.सं. व्यय (करोड़ रू.)	**932.25**	**1076.14**

बीमा व्यय

5.6 विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए बीमा व्ययों का प्राक्कलन, राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 25 में निर्धारित उच्चतम के अध्यधीन निवल स्थाई परिसम्पत्तियों के आधार पर किया गया है।

सारणी 21: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए बीमा व्यय(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 18	विव 19
निवल स्थाई परिसम्पत्तियां (करोड़ रू.)	12410.24	13304.80
निवल स्थाई परिसम्पत्तियों के 0.2 प्रतिशत की दर पर बीमा व्यय	**24.82**	**26.61**

सेवान्त लाभ

5.7 सेवान्त लाभ दायित्व के विनिर्धारण हेतु याचिककर्ता ने लेखांकन मानक– 15 (कर्मचारी लागत) के अन्तर्गत निर्धारित दिशा–निदेर्शों को अपनाया है। लेखांकन मानक – 15 के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश उल्लेख करते हैं कि नियोक्ता स्थापित प्रावधायी निधि युक्त लाभ, जिन्हें ब्याज की कमी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता है, को परिभाषित लाभ योजना माना जाना है। लेखांकन मानक – 15 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष पेंशन तथा उपादान के सम्बन्ध में सेवान्त लाभों में कमी के लिए प्रावधान किया है।

5.8 याचिकाकर्ता ने सेवान्त लाभ, विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए देय सेवान्त लाभों का प्राकलन किया है। आयोग से नीचे सारणी में यथादर्शित व्यय अनुज्ञात करने की प्रार्थना है:

सारणी 22: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए सेवान्त लाभ (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 18	विव 19
वर्ष के लिए सेवान्त लाभ	550.00	550.00

दीर्घकालीन ऋणों, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज तथा अन्य वित्त प्रभार

5.9 दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज, प्रासमिक के आधार पर माना गया है। वर्ष 2016–17 के अंकेक्षित लेखानुसार दीर्घकानीन ऋणों का अन्तिम शेष वर्ष 2017–18 का प्रारम्भिक शेष माना गया है।

5.10 वर्ष 2017–18 की संशोधित निवेश योजना के आधार पर कुल पूंजी निवेश का प्राक्कलन किया गया है। वर्ष के दौरान कुल पूंजी निवेश में से उपभोक्ता से प्राप्त होने वाली राशि को कम किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता से प्राप्त राशि सीडब्ल्यूआईपी और जीएफए दोनों में वृद्धि करती है। इसीलिए पूंजी निवेश की गणना करते समय उपभोक्ता द्वारा प्राप्त राशि को समानुपात में उपयोग में लिया गया

है। वर्ष के दौरान दीर्घावधि के ऋणों के अतिरिक्त, बकाया का 30 प्रतिशत इक्विटी के द्वारा निवेशित माना गया है। वर्ष के लिये किये जाने वाले कुल पूंजीकरण में से प्रक्षेपित उपभोक्ता अंशदान राशि को कम कर दिया गया है। शेष 30 प्रतिशत पूंजीकरण इक्विटि के माध्यम से प्राप्ती मानी गयी है। तथा शेष राशि दीर्घकालीन ऋणों में वृद्धि मानी गयी है। राविविआ. टैरिफ विनियम 2014 के अनुच्छेद 21 के अनुरूप दीर्घावधि ऋणों का चुकवारा माना गया है जो कि वर्ष के लिये ह्रास व्यय सीमा तक निहित है। वर्ष 2017–18 के लिये कुल प्रसमन ऋण अन्तिम शेष, प्रसमन ऋण भुगतान कम करके माना गया है।

5.11 वर्ष 2017–18 के संशोधित अन्तिम बकाया को वर्ष 2018–19 के लिये प्रारम्भिक ऋण बताया गया है और ये ही तरीका वर्ष 2018–19 के नोर्मेटिव ऋणों की गणना के लिए काम मे लिया गया है। वित्तिय वर्ष 2017–18 हेतु प्रसमन आधार पर ब्याज की गणना हेतु वही सिद्धांत एक रूपता से अपनाया गया है जो कि ऋणों मे प्रारम्भिक शेष की गणना हेतु है।

5.12 दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज, याचिकाकर्ता के दीर्धकालीन ऋणों के लिए वास्तविक भारित औसत ब्याज दर पर प्राक्कलित किया जाता है तथा प्रासमिक ऋणों के औसत (प्रारम्भिक तथा अन्तिम प्रासमिक ऋण का औसत) पर प्रयुक्त किया जाता है। विव 2016–17 के दौरान दीर्धकालीन ऋणों पर वास्तविक औसत ब्याज दर का प्राक्कलन 9.77% प्रतिशत पर किया गया है तथा यह दर, विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज प्रभारों के प्राक्कलन हेतु वर्ष के दौरान प्रासमिक ऋणों के औसत शेष पर प्रयुक्त की जाती है।

5.13 विव 2017–18 तथा 2018–19 के लिए प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज, वित वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार पिछले दो वर्षों में वास्तविक प्रतिभूति निक्षेप के औसत तथा उपभोक्ताओं की सख्या में प्रक्षेपित वृद्धि के आधार पर परिकलित किया गया है। ब्याज की दर यथाप्रयोज्य भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर 6.75 प्रतिशत दिनांक 01.04.2017 को निर्धारित आधार अनुसार मानी गयी है जो कि राविविआ – विधुत प्रदाय की शर्तो के अनुरूप है।

5.14 वित्त प्रभार या अन्य उधारी की लागत, वित वर्ष 2016–17 अंकेक्षित लेखों के अनुसार विव 2017–18 तथा 2018–19 के लिए वास्तविक से 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाकर प्राक्कलित की गयी है।

5.15 विव 18 तथा विव 19 के लिए दीर्धकालीन ऋणों, प्रतिभूति पर प्राक्कलित ब्याज तथा वित्त प्रभार नीचे सारणी में सारांशित हैं –

सारणी 23: दीर्धकालीन ऋणों, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 18	विव 19
प्रासमिक ऋण का प्रारम्भिक शेष	2,664.24	3,009.93
वर्ष के दौरान मानित परिवर्धन	1,189.19	1,049.67

मानित परिशोधन	843.50	932.53
मानित ऋण का अन्तिम शेष	3,009.93	3,127.07
वर्ष के दौरान औसत शेष	**2,837.08**	**3,068.50**
ब्याज दर (प्रतिशत)	9.77%	9.77%
प्रासमिक ऋणों पर ब्याज भुगतान	**277.25**	**299.87**
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	67.69	73.61
वित्त प्रभार तथा अन्य उधारी लागत	87.86	92.25
सकल ब्याज तथा वित्त प्रभार	**432.79**	**465.73**

विगत वर्षों के लिए अनिधिबद्ध राजस्व अन्तर पर ब्याज

5.16 याचिका के वित्तिय वर्ष 2015–16 के ट्रॅू–अप अनुमोदन आदेश में माननीय आयोग ने वर्ष 2015–16 तक रू. 17,678.52 करोड का अनिबद्ध राजस्व अन्तर अनुमोदित किया था।

5.17 यद्यपि माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 02 नवम्बर 2017 में वर्ष 2016–17 और 2017–18 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता को अनुमोदित करते हुये अनिबद्ध अन्तर को उदय योजना में अधिग्रहित किये गये ऋणों को देखते हुए अनिबद्ध अन्तर को कम कर दिया है। माननीय आयोग ने वर्ष 2015–16 के अनिबद्ध राजस्व अन्तर पर कैरिंग कोस्ट को अनुमत किया है।

5.18 वर्ष 2016–17 के वार्षिक अंकेक्षित लेखों के अनुसार याचिकाकर्ता को वर्ष 2016–17 के लिये 615.76 करोड़ रूपये का घाटा है। तदनुसार वर्ष 2015–16 के लिये माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अनिबद्ध राजस्व अन्तर में वृद्धि की है।

5.19 अनिबद्ध राजस्व अन्तर के ब्याज की गणना के लिये याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016–17 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार भारित औसत दर को ध्यान में रखा है।

5.20 अनिबद्ध राजस्व अन्तर पर ब्याज की विस्तृतियां नीचे दी गई सारणी में दशाई गई है।

सारणी : 24 वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए अनिबद्ध राजस्व अन्तर (करोड़ रू.)

विवरण	2017–18	2018–19
अनिबद्ध राजस्व अन्तर	13800.76	13800.76
औसत ब्याज दर	*9.77%*	*9.77%*
ब्याज दायित्व	**1348.68**	**1348.68**

5.21 याचिकाकर्ता पर विव 2017–18 तथा 2018–19 के लिए कुल ब्याज दायित्व नीचे सारणी में सारांशित है :

सारणी 25: कुल ब्याज तथा वित्त व्यय (करोड़ रू.)

विवरण	विव 18	विव 19
प्रासमिक कर्ज पर ब्याज भुगतान	**277.25**	**299.87**
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	67.69	73.61
वित्त प्रभार तथा पट्टा किराया	87.86	92.25
अनिधिबद्ध अन्तर पर ब्याज दायित्व	**1348.68**	**1348.68**
सकल ब्याज प्रभार	**1,781.47**	**1,814.41**
पूंजीकृत ब्याज व्यय	98.08	98.82
निवल ब्याज व वित्त प्रभार	**1,683.39**	**1,715.59**

कार्यशील पूंजी पर ब्याज

5.22 याचिकाकर्ता ने विव 2017–18 के लिए अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकता को संशोधित किया है तथा 2018–19 के लिए प्राक्कलन राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 27 (3) के अनुसार किया है। कार्यशील पूंजी आवश्यकता, निम्नलिखित प्राचलों को ध्यान में रखते हुये, परिकलित की गई है : –

(अ) एक महीने के लिए परिचालन एवं संधारण व्यय

(ब) राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 83 के अनुसार प.एव.सं. व्ययों के 15 प्रतिशत संधारण स्पेयर्स,

(स) उपभोक्ताओं के 1½ माह के विपत्रण के बराबर प्राप्यतायें,

(द) बैंक प्रत्याभूति के रूप में धारित प्रतिभूति निक्षेपों को छोड़कर, वितरण तन्त्र प्रयोक्ताओं (खुला अभिगमन उपभोक्ता) तथा फुटकर आपूर्ति उपभोक्ताओं की प्रतिभूति निक्षेप, वर्ष के लिए कुल कार्यशील पूंजी आवश्यकताा के निर्धारण हेतु उपरोक्त में से कम की गयी है।

5.23 कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर विव 2016–17 के लिए भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित नवीनतम आधार दके आधार पर 250 आधार अंक जो कि 11.80 प्रतिशत है को ध्यान में रखा गया है। नीचे सारणी विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए कार्यशील पूंजी पर प्रासमिक ब्याज को सारांशित करती है

सारणी 26: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज (करोड़ रू.)

क्र.सं.	विशिष्टियां	विव 18	विव 19
1	प.एवं.स. व्यय	77.69	90.76
2	संधारण	139.84	163.37
3	प्राप्यतायें	2,036.87	2,185.20
	घटायें –		
4	उपभोक्ताओं तथा वितरण तन्त्र प्रयोक्ताओं की प्रतिभूति निक्षेप	1,002.75	1,090.52
5	**कुल कार्यशील पूंजी**	**1,251.64**	**1,345.78**
6	ब्याज दर	11.80%	11.80%
7	**कार्यशील पूंजी पर ब्याज**	**147.69**	**158.80**

ह्रास

5.24 विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए ह्रास, राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अनुलग्नक– 1 में निर्धारित दरों पर उक्त विनियमों के विनियम 22 के अनुसार सीधी रेखा पद्धति (सीरेप) के अनुसार परिकलित किया गया हैं।

5.25 ह्रास का विनिर्धारण, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के औसत प्रारम्भिक व अन्तिम शेषों पर प्रयोज्य ह्रास दरें प्रयुक्त कर किया गया है।

सारणी 27: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए ह्रास (करोड़ रू.)

विवरण	विव 18	विव 19
ह्रास	843.50	932.53

साम्या पर प्रतिफल

5.26 राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 साम्या पर 16 प्रतिशत की दर से प्रतिफल अनुज्ञात करता है। तथापि याचिकाकर्ता ने विव 2017–18 तथा 2018–19 के लिए साम्या पर कोई प्रतिफल प्रस्तावित नहीं किया है।

गैर– टैरिफ आय तथा अन्य आय

5.27 विव 2017–18 तथा 2018–19 के लिए गैर– टैरिफ आय, विव 2016–17 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार पांच प्रतिशत की वृद्धि दर से प्रक्षेपित की गयी है।

5.28 वर्ष 2017–18 में व्हीलिंग प्रभार और रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार से प्राप्त आय को वर्ष 2017–18 के प्रथम 6 माह के वाणिज्यिक आंकड़ों को समानुपात में संशोधित किया है जो कि वर्ष 2018–19 के लिए भी काम में लिये गये हैं।

5.29 इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में क्रास सब्सिडी प्रभार और अतिरिक्त प्रभार से प्राप्त आय को वर्ष के प्रथम 6 माह के वाणिज्यिक आंकड़ों और माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित दरों को समानुपात में संशोधित किया गया है जो कि वर्ष 2018–19 के लिये आय के रूप में काम में लिया गया है।

विलम्ब शुल्क पर वित्त पोषण हेतु ब्याज

5.30 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि विलम्बित भुगतान (डी.पी.एस.) उपभोक्ता की बकाया पर लगाया जाकर उपचय विधि स लेखा बद्ध किया जाता है। याचि की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध डीपीएस को माननीय आयोग ने विगत में गैर टैरिफ आया माना है। किन्तु उपभोक्ताओं से वास्तव में वसूल किये गये डीपीएस की राशि भिन्न रहती है जो कि लेखाबद्ध से कम होती है। इस कारण से याचिकाकर्ता का राजस्व अन्तर भी प्रभावित होता है।

5.31 पुनः निवेदन है कि उपचय विधि से संचित डीपीएस को याचिकाकर्ता की लेनदारिया मानी जानी है। यह उल्लेख करना समयाचीन है कि याचिकाकर्ता पूर्व रूप से ऊर्जा क्रय एवं अन्य प्रकार के व्यय वहन कर चुका होता है। जबकि याचि को केवल दो माह की लेनदारिया ही कार्यशील पूंजी में प्राप्य हेतु अनुमति दी जाती है। इस प्रकार से प्राप्तियों के वित पोषण की लागत, की भी अनुमति दी जानी चाहिये, विशेषतः जबकि डीपीएस को अतिरिक्त आय मान लिया जाता है।

5.32 माननीय विधुत अपीलिय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) द्वारा एनडीपीएल बनाम डीईआरसी अपील संख्या 142–2009 के फैसले दिनांक 20 जुलाई 2010 जिसे नीचे उदृत किया गया, जिसमें डीपीएस वितीय लागत का उल्लेख है।

"The normative working capital compensates the distribution company in delay for the 2 months credit period which is given to the consumers. The late payment surcharge is only if the delay is more than the normative credit period. For the period of delay beyond normative period, the distribution company has to be compensated with the cost of such additional financing. It is not the case of the Appellant that the late payment surcharge should not be treated as a non-tariff income. The Appellant is only praying that the financing cost is involved due to late payment and as such the Appellant is entitled to the compensation to incur such additional financing cost. Therefore, the financing cost of outstanding dues, i.e. the entire principal amount, should be allowed and it should not be limited to late payment surcharge amount alone.

5.33 उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में अन्य विनियामक आयोग जैसे कि बिहार विधुत विनियामक आयोग ने भी डीपीएस पर वित्तिय लागत के बतौर, कार्यशील पूंजी पर

अनुमोदित ब्याज दर से डीपीएस पर ब्याज बतौर गैर टैरिफ आय में अनुमोदित किया है।

5.34 याचिकाकर्ता ने डीपीएस पर भी कार्यशील पूंजी पर ब्याज समकक्ष दर से वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 हेतु निम्न सारणी अनुसार निवेदित किया है:–

सारणी 28: डीपीएस पर वित पोषण हेतु ब्याज विव 2017–18 तथा विव 2018–19 (करोड़ रू.)

मूल डीपीएस पर वित पोषण ब्याज	विव 18	विव 19
डीपीएस	244.04	256.24
मूल राशि जिस पर डीपीएस लिया गया (@ 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से)	1016.82	1067.66
मूल डीपीएस पर वित पोषण ब्याज दर	11.80%	11.80%
मूल डीपीएस पर वित पोषण ब्याज	**119.98**	**125.98**

5.35 निम्न सारणी में अनुमानित गैर टैरिफ आय, विधुत परिवहन से आय, अन्तर सहायिकी एवं अतिरिक्त प्रभार आदि से आगत आय को विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए सांराशित किया गया है:–

सारणी 29: गैर टैरिफ आय, विधुत परिवहन आदि से आय विव 18 तथा विव 19 (करोड़ रू.)

विशिष्टिया	विव 18	विव 19
गैर टैरिफ आय	526.13	552.43
घटाये: मूल डीपीएस पर वित पोषण ब्याज	*119.98*	*125.98*
निवल गैर टैरिफ आय	406.14	426.45
विधुत परिवहन से आय	9.19	9.19
अन्तर सहायिकी से आय	161.57	161.57
अतिरिक्त प्रभार से आय	95.85	95.85
कुल	**672.74**	**693.05**

विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता

5.36 पूर्वगामी भागों में माने गये व्यय तत्वों पर आधारित, विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए प्राक्कलित सराआ नीचे सारणी में सारांशित है :

सारणी 30: विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (करोड़ रू.)

क्र.सं.	विशिष्टियां	विव 17	विव 18
1	विद्युत क्रय व्यय	11,181.95	12,121.32
2	परिचालन एवं संधारण व्यय	1,507.07	1,652.75
2.1	कर्मचारी व्यय (निवल)	*644.94*	*744.49*

2.2	प्रशासकीय एव सामान्य व्यय (निवल)	*85.91*	*99.17*
2.3	मरम्मत एवं संधारण व्यय	*201.40*	*232.48*
2.4	सेवान्त लाभ	*550.00*	*550.00*
2.5	निवल स्थाई परिसम्पत्तियों का 0.2 प्रतिशत की दर पर बीमा व्यय	*24.82*	*26.61*
3	ह्रास के प्रति अग्रिम सहित ह्रास	843.50	932.53
4	ऋण पूंजी पर ब्याज (प्रतिभूति निक्षेप तथा विव 13 तक अनिधिबद्ध अन्तर पर ब्याज)	1,683.39	1,715.59
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज (प्रासमिक)	147.54	158.80
6	पूर्वावधि व्यय तथा अन्य व्यय	-	-
7	भाविग्रिनिलि को संदत्त प्रसारण प्रभार	687.19	687.19
8	उक्षेभाप्रेके शुल्क	1.12	1.12
9	राविप्रनि को संदत्त प्रसारण प्रभार	897.84	897.84
10	राभाप्रेके शुल्क	7.51	7.51
11	**कुल राजस्व व्यय**	16,957.12	18,174.67
12	साम्या पूंजी पर प्रतिफल	-	-
13	**समग्र राजस्व आवश्यकता**	**16,957.12**	**18,174.67**
14	घटायें – गैर–टैरिफ आय	406.14	426.45
15	घटायें – व्हीलिंग प्रभारों से आय	266.60	266.60
16	**फुटकर टैरिफ से समग्र राजस्व आवश्यकता**	**16,284.38**	**17,481.62**

अ 6: विद्यमान टैरिफ से राजस्व तथा राजस्व धाटा

विद्यमान टैरिफ पर विद्युत विक्रय से राजस्व

6.1 विव 2017–18 तथा 2018–19 के लिए विद्यमान टैरिफ से प्रत्याशित राजस्व का प्राक्कलन प्रेक्षपित किये गये ऊर्जा विक्रय के आधार एवं माननीय आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार वर्तमान प्रचलित टैरिफ के अनुसार किया गया है।

6.2 नीचे दी गई सारणी विव 2017–18 तथा विव 2018–19 के लिए श्रेणीवार प्रत्याशित राजस्व को सारांशित करती है :

सारणी 31: विद्यमान टैरिफ पर विद्युत के विक्रय से आय विव 2017–18 तथा 2018–19 (करोड़ रू.)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2017–18 (राजस्व करोड़ रू.)	विव 2018–19 (राजस्व करोड़ रू.)
घरेलू सेवा	3,503.82	3,940.24
अघरेलू सेवा	2,213.29	2,415.03
सार्वजनिक पथ प्रकाश	130.54	139.25
कृषि मी. आपूर्ति	3,196.52	3,533.69

कृषि फ्लेट दर आपूर्ति	178.97	94.44
लघु औद्योगिक सेवा	240.92	248.26
मध्यम औद्योगिक सेवा	618.70	641.61
वृहद औद्योगिक सेवा	4,237.40	4,604.39
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – लधु	173.69	180.21
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – मध्यम	31.21	31.95
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – वृहद	311.44	348.45
मिश्रित भार/प्रपंजाआपूर्ति	179.08	190.05
विद्युतकर्षण		
योग	**15,015.59**	**16,367.56**

6.3 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि ऊर्जा क्रय और विक्रय एक गतिशील प्रक्रिया है पावर एक्सचेन्ज में विद्युत दरें क्रेता, विक्रेता और बाजार में उपलब्ध विद्युत पर निर्भर करती है। याचिकाकर्ता का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। देश में ऊर्जा के आधिक्य के कारण बाजार मूल्य में आगे भी कमी संभव है। यहां यह उल्लेखनीय है कि एक्सचेंज में आई विद्युत दर याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत संयंत्रों को देय परिवर्तनशील मूल्यों से कम होती है।

6.4 यद्यपि वर्ष 2017–18 और 2018–19 में नये स्टेशनों और वितरण हानियों में कमी के कारण ऊर्जा की उपलब्धता का आधिक्य रहने की संभावना के कारण उपलब्ध अधिक ऊर्जा को ढाई रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेचने का प्रस्ताव है।

6.5 प्रत्येक डिस्कॉम को एक निश्चित अनुपात में विद्युत के अलोकेशन के कारण पावर स्टेशन से ऊर्जा क्रय को आगे कम नहीं किया जा सकता जिसके कारण एक डिस्कॉम में ऊर्जा अधिक और दूसरे में कम हो जाती है। तीनों डिस्कामों में अधिक ऊर्जा में भारी अन्तर भी इसी अलोकेशन के कारण है। तीनों डिस्कामों में ड्रावल और ऊर्जा विक्रय में परिवर्तन और वितरण हानियों के अन्तर में कमी के कारण, डिस्कॉम्स माननीय आयोग के अपने आदेश दिनांक 02 नवम्बर 2017 में दिये गये अलोकेशन पर विचार कर रहा है।

6.6 निम्नलिखित सारणी लघु अवधि की ऊर्जा क्रय/विक्रय को सारांशित करती है और इसको आगे के भागों में व्यापारिक गतिविधियों से प्राप्त राजस्व समझा गया है।

सारणी 32: अधिशेष/कमी वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	**यूनिट्स**	**2017-18**	**2018–19**
ऊर्जा अधिशेष/कमी	एम.यू.	**1873**	**2750**
लघु अवधि की दर	रूपये प्रति यूनिट	**2.50**	**2.50**
ऊर्जा क्रय का मूल्य/ट्रेडिंग से प्राप्त राजस्व	करोड़ रूपये	**468.26**	**687.53**

6.7 राज्य सरकार से सहायिकी

राज्य सरकार परिचालनीय हानियों को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता को विगत हानियों के पुनर्भरण, विद्युत शुल्क के प्रति संसहायिकी तथा नकद सहायता सहित सांक्रांन्तिक अवधि सहायता उपलब्ध करवाती है। अब ''उदय योजना'' के तहत राज्य सरकार नकद सहायता उपलब्ध नही करायेगी किन्तु विधुत कर की प्रतिभरण चालू रहेगा। विधुत कर प्रतिभरण सहायकी के निर्धारण हेतु, वर्ष के लिये प्रेक्षपित विक्रय तथा प्रति युनिट विधुत कर प्रतिभरण के आंकडें काम में लिये गये है। नीचे दी गयी सारणी राजस्थान सरकार से वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 हेतु प्राप्य सहायिकी को सारांशित करती है :

सारणी 33:विव 2017–18 तथा 2018–19 के लिए राजस्थान सरकार से सहायिकी समर्थन(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 18 (करोड़ रू.)	विव 19(करोड़ रू.)
विद्युत शुल्क/स्टाम्प शुल्क के प्रति राज्य सरकार से ससंहायिकी	604.29	662.19
प्रशमन प्रभारों के प्रति सहायिकी	13.80	13.80
योग	**618.09**	**675.99**

विद्यमान टैरिफ पर राजस्व घाटा

6.8 विद्यमान टैरिफ पर विव 2017–18 तथा 2018–19 हेतु नियंत्रणावधि के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए राजस्व धाटा नीचे सारणी में सारांशित किया गया है :

सारणी 34: विव 2017–18 तथा 2018–19 के लिए विद्यमान टैरिफ पर राजस्व घाटा (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 18	विव 19
समग्र राजस्व आवश्यकता (क)	16,284.38	17,481.62
विद्यमान टैरिफ पर राजस्व (ख)	15,015.59	16,367.56
ट्रडिग गतिविधि से प्राप्त राजस्व (**ग**)	468.26	687.53
सहायिकी से पूर्व राजस्व घाटा (घ = क–ख–ग)	**800.52**	**426.53**
राज्य सरकार से सहायिकी समर्थन (**ध**)	618.10	675.99
सहायिकी के बाद राजस्व घाटा (ड. = घ –ध)	**182.41**	**-249.46**
जोड़ें – पिछले वर्ष के लिए राजस्व घाटा (च)		182.41
वित्तीय वर्ष के प्रथम आघे के दौरान भारतीय		5.64

स्टेट बैंक की आधार दर के अनुसार राजस्व घाटे पर रखाव लागत (छ)		
पिछले वर्ष के अन्तर को समायोजित करने के बाद संचित राजस्व घाटा (ज = ड+च+छ)	**182.41**	**-61.41**

6.9 विव 2017–18 के राजस्व अन्तर पर रखाव लागत की गणना हेतु ब्याज दर दीर्घ कालिक ऋणों पर देय औसत ब्याज दर के समकक्ष मानी है।

6.10 जैसा कि ऊपर सारणी से देखा जा सकता है याचिकाकर्ता विव 2017–18 में राजस्व घाटे में रहेगा तथा 2017–18 में मामूली आधिक्य में रहेगा।

अ 7: राजस्व घाटे का उपचार

7.1 जैसाकि ऊपर के अनुच्छेदों में बताया गया है याचिकाकर्ता का राजस्व घाटा वर्तमान विद्युत दरों पर वर्ष 2017–18 के लिए 182.41 करोड़ रूपये प्राक्कलित किया गया है। यद्यिपि वर्ष 2018–19 में 249.46 करोड़ रूपये का अधिशेष है। इसलिए वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए संचित राजस्व घाटा 182.41 करोड़ और 61.41 करोड़ प्राक्कलित किया गया है।

7.2 याचिकाकर्ता यहां यह उल्लेख करना चाहेगा कि संचित राजस्व घाटे में कमी करने के लिये और समग्र सुधार के लिए आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। इसलिए याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018–19 के लिये कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की है।

सूचना तकनीक के प्रयास

7.3 यहां यह उल्लेखनीय होगा कि अनुमानित 15 प्रतिशत वितरण हानियों के लक्ष्य को प्राप्त करने और वित्तीय आमूल चूल परिवर्तन के लिये याचिकाकर्ता को बहुत सारे उपाय करने होंगे और कार्यविधि के लिये एक नई एप्रोच अपनानी होगी।

7.4 माननीय आयोग ने वर्षों से अपने विभिन्न आदेशों में याचिकाकर्ता को कई प्रकार के परिवर्तन जैसे मासिक बिलिंग, ईआरपी का क्रियान्वन, उपभोक्ता केन्द्रित मोबाईल एप्स का विकास, बेहतर पदार्थ प्रबन्ध और इनवेन्टरी कन्ट्रोल इत्यादि। माननीय आयोग ने तंत्र की विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की सुरक्षा की निगरानी के लिये बार–बार निर्देश दिया है।

7.5 यहां यह भी निवेदन किया जाता है कि सूचना तकनीक डेटा की गुणवत्ता, वास्तविक समय की निगरानी जिससे कि निर्णय लेने में सूचना का प्रवाह हो सके और क्रियात्मक और वित्तीय सुधार की नींव बनाने में सहायक सिद्ध हो सके। यह क्रियात्मक स्तर पर अनुमानक व्यवस्थाओं के क्रियान्वन को सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध होगा। डिस्कॉम का सूचना तकनीक को उपयोग करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सेवाओं में सुधार करना है। सूचना तकनीक का उपयोग करके घटना होने और किसी प्रकार का एक्शन के समय में अन्तर को कम करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं की शिकायतों का कम से कम समय में निराकरण हो सकेगा।

7.6 यह कहने की आवश्यकता नहीं है योजनाबद्ध तरीके से निराकरण के लिये धन की आवश्यकता होती है। फिर भी यह उम्मीद की जाती है कि बिलिंग सुधार, कलेक्शन, मैटेरियल मैनेजमेन्ट इत्यादि के लाभों से मूल्यों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको 2018–19 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का भाग नहीं समझा गया है। किसी प्रकार की कोस्ट का प्रभाव होने पर इसको माननीय आयोग के समक्ष ट्रू अप के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

राजस्व और सूचना प्रबन्ध तंत्र

7.7 याचिकाकर्ता ने राजस्व प्रबन्ध और उपभोक्ता सूचना तंत्र के लिये एक नये सिस्टम की योजना बनाई है। यह सिस्टम उपभोक्ता केन्द्रित होगा और राजस्व और प्रबन्ध के उद्देश्यों के लिये सूचनाऐं उपलब्ध करायेगा।

7.8 प्रस्तावित निराकरण से निम्नलिखित लाभ होंगे :–

- **स्वचालित मीटर रीडिंगः** मीटर रीडर को मीटर की रीडिंग नहीं लेनी पड़ेगी जिससे कि शुद्धता और मानवीय त्रुटियों की संभावनाओं में सुधार होगा। मीटर रीडिंग की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को हटाने से मीटर रीडरों द्वारा उपभोक्ताओं से मिलीभगत के प्रकरणों में कमी होगी।
- **समय पर बिलों की उपलब्धताः** बिल समय पर जारी होंगे और उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के समय ही बिल उपलब्ध करवा दिया जायेगा जिससे कि सम्पूर्ण प्रक्रिया की समयावधि 15 दिनों से शून्य हो जायेगी।
- **जीओ टैगिंगः** उपभोक्ताओं की जीओ की स्थिति और विद्युत तंत्र की परिसम्पत्तियों को टैग किया जायेगा जिससे कि उपभोक्ता इन्डेक्सिंग तैयार होगी और उपभोक्ता की लोकेशन और पुनः सम्बन्ध/सम्बन्ध–विच्छेद का भी पता लगाया जा सकेगा। यह शिकायतों को अटेन्ड करने के लिये फाल्ट की स्थिति का पता लगाने में सहायक सिद्ध होगी।
- **मोबाईल/सिस्टम पर डेटा की वास्तविक समय पर उपलब्धताः** डेटा की मोबाईल/सिस्टम पर उपलब्धता किसी भी समय और किसी भी जगह डेटा को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी जिससे कि नियंत्रण और क्षमता में सुधार हो सकेगा।
- **विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये उपभोक्ता पोर्टलः** उपभोक्ताओं से सम्पर्क हेतु वेब पोर्टल और मोबाईल एप्स के द्वारा नये अवसर प्रदान करना जो कि उपभोक्ताओं को अपने बिल के इतिहास, नये कनेक्शन की प्रार्थना, पुनः सम्बन्ध/सम्बन्ध–विच्छेद, मीटर को जांच करने की प्रार्थना इत्यादि।

फीडर निगरानी सिस्टम

7.9 उपभोक्ताओं के सन्तुष्टीकरण में सुधार के लिये यह आवश्यक है कि फीडर और वितरण ट्रान्सफार्मरों की विश्वसनीयता की निगरानी की जाये। निगरानी में सुधार के लिये वास्तविक समय आधारित निगरानी और एक्शन लेने में समय को कम करके भी उपभोक्ता संतुष्टीकरण

को सुनिश्चित किया जा सकेगा। 11 केवी फीडरों से डेटा प्राप्ति, फीडर का निगरानी सिस्टम को भी क्रियान्वित किया गया है। यह सभी 11 केवी फीडरों के लिये डेटा उपलब्ध करायेगा।

7.10 इस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण फीचर यह है कि यह फीडरवार हानियां उपलब्ध करायेगा। यह ग्रामीण फीडरों के केस में कृषि और घरेलू हानियों के पृथक्कीकरण को भी उपलब्ध करायेगा।

7.11 यह सिस्टम 15 मिनट के अंतराल पर मीटर डेटा, ब्रेक डाउन स्टेटस, टोटल सप्लाई घंटे, सब–स्टेशन/फीडरों का बाधित होना, क्षेत्रवार 11 केवी फीडरों की सूचना इत्यादि।

7.12 वास्तविक समय पर आधारित इन सूचनाओं से फीडरों की निगरानी काफी आसान हो जायेगी और फॉल्ट और इसके सुधार में समय का अन्तर कम हो जायेगा। यह सिस्टम राजस्व प्रबन्ध सिस्टम से भी एकीकृत किया जायेगा जिससे कि फीडरवाइज इनपुट एनर्जी डेटा उपलब्ध हो सके और आडिट रिपोर्ट जारी हो सके।

मोबाईल एप्स

7.13 ट्रान्सजेक्शनल स्तर के नियंत्रण में सुधार के लिये और किसी भी समय और किसी भी जगह डेटा उपलब्धता के लिये, राजस्व प्रबन्ध सिस्टम और दूसरे आईटी सिस्टम एकीकृत मोबाईल एप्स के साथ उपलब्ध होंगे। वर्तमान में चार विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार चार पृथक–पृथक मोबाईल एप्स की योजना बनाई गई है।

- **बिजली मित्रः** इस एप का लक्ष्य उपवभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध कराना है इसमें अपने बिलों की डिटेल, बिजली उपभोग की जानकारी, पूर्व भुगतान की जानकारी इत्यादि सम्मिलित है। उपभोक्ता को यह विकल्प होगा कि वह अपने बिल का एप्स के माध्यम से भुगतान करे इससे उपभोक्ता अपनी शिकायत और ऐसी शिकायतों की स्थिति जानने में भी समर्थ होगा। यह भी संभव होगा कि वह मीटर जांच, पुनः सम्बन्ध और सम्बन्ध विच्छेद के लिये आवेदन कर सके।
- **बिजली प्रबन्धः** यह एप मैनेजमेन्ट को मुख्य पैरामीटरों के बारे में समय आधारित सूचना उपलब्ध करायेगी। मैंनेजमेन्ट बिलिंग की प्रगति, संग्रहण की स्थिति, उपभोक्ताओं की उनके बकाया के साथ इत्यादि के बारे में निगरानी करने में समर्थ होगा। मैनेजमेन्ट उपभोक्ताओं की लोकेशन उनकी बकाया की स्थिति के साथ जानने में समर्थ होगा जिससे कि बकाया वसूली का अभियान बेहतर ढंग से चल सकेगा
- **फीडर इन्चार्ज एपः** यह एप राजस्व प्रबन्ध सिस्टम का कार्य करेगी। फीडर इन्चार्ज उपभोक्ता और परिसम्पत्तियों के इन्डेक्सिंग करने में समर्थ होगा। इस एप से फीडर इन्चार्ज मीटर की रीडिंग लेने में, साईट पर बिल उपलब्ध कराने और भुगतान का संग्रहण करने में समर्थ होगा।
- **बिजली आपूर्ति एपः** यह एप फीडरों की निगरानी के लिये उपयोग में ली जायेगी। यह एप वास्तविक समय के आधार पर फीडर की डिटेल जैसे की मीटर का डेटा, इसके ब्रेकडाउन की स्थिति और किसी प्रकार की रूकावट के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायेगी।

7.14 ये एप्स घटना के होने और एक्शन लेने के बीच के समय के अन्तर को कम करेंगे। इसके

अतिरिक्त भविष्य के सभी सिस्टम इन मोबाईल एप्स के साथ एकीकृत किये जायेंगे।

डीटी और एएमआर मीटरिंग

7.15 डीटी मीटरिंग और एएमआर मीटरिंग की जरूरत को महसूस करते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने यह इरादा किया है कि इस कार्य को आउट सोर्स कर दिया जाये। प्रस्तावित मॉडल ओपेक्स मॉडल है जिसमें कि वेन्डर को आवश्यक निवेश करने की आवश्यकता होगी और जिसका कि पुनर्भुगतान डीटी मीटर रीडिंग और उपभोक्ता मीटर रीडिंग के आधार पर किया जायेगा। इसमें वर्तमान एएमआर मीटर्स और सहायक उपकरणों की मैन्टीनेन्स के साथ नये हार्डवेयरों की स्थापना भी सम्मिलित है।

स्मार्ट उपभोक्ता केयर सिस्टम

7.16 याचिकाकर्ता स्मार्ट उपभोक्ता केयर सिस्टम सेन्टर के क्रियान्वन के लिये आधुनिक तकनीक को अपनाने का इरादा रखता है जो कि उपभोक्ता संतुष्टीकरण को बढ़ायेगा। उपभोक्ता केयर सिस्टम दूसरी जगहों पर स्थित आईटी सिस्टम से संग्रहित किये गये डेटा का उपयोग करेगा और उचित अधिकारी को कार्य स्थानान्तरित करने में समर्थ होगा। यह घटना होने और उसका एक्शन लेने के समय में कमी करेगा। यह, यह भी सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता नियमित और सही जानकारियां प्राप्त करें।

- **शिकायतों का पंजीकरणः** उपभोक्ता केयर सिस्टम न केवल टेलीफोन के द्वारा बल्कि सोशल मीडिया के द्वारा उपभोक्ता को शिकायत दर्ज कराने में समर्थ करेगा।
- **उपभोक्ता की पहचानः** यह सिस्टम उपभोक्ता की पहचान मोबाईल फोन नम्बर के पंजीकरण और ई–मेल आईडी के द्वारा करेगा यह भी जानना संभव होगा कि उपभोक्ता किस फीडर/डीटी/पोल से जुड़ा हुआ है।
- **कार्य का हस्तांतरणः** शिकायत की प्रकृति के आधार पर सिस्टम फॉल्ट सुधार टीम को फॉल्ट सुधारने का निर्देश देगा।
- **नियमित अपडेटः** सिस्टम उपभोक्ताओं को नियमित जानकारी उपलब्ध करायेगा जो कि फॉल्ट सुधार टीम और उपखण्ड़ कार्यालयों से प्राप्त डिटेल के आधार पर होगी।
- **स्वचालित संदेशः** यह सिस्टम उपभोक्ताओं को डीटी के खराब होने और इसी तरह के प्रकरणों से सम्बन्धित संदेश उपलब्ध करायेगा। दूसरे मैसेजेज जैसे बिलिंग की सूचना, त्यौहारों की ग्रीटिंग्स, ऊर्जा बचाने के उपाय इत्यादि भी इस सिस्टम के द्वारा भेजे जायेंगे।

ईआरपी

7.17 डिस्कॉम वित्त और लेखा, मानव संसाधन पदार्थ प्रबन्ध इत्यादि के साथ कार्य कर रहा है जिसमें कि दिन–प्रतिदिन के कार्यों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां होती है। यह कार्य मानव के द्वारा किये जा रहे हैं जो कि क्षमता में आगे सुधार की गुजाईश रखते हैं।

7.18 वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये याचिकाकर्ता ने ईआरपी के निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रियान्वन के लिए योजना बनाई है :–

- वित्त और लेखे
- पदार्थ प्रबन्ध (क्रय और स्टोर)
- मानव संसाधन प्रबन्ध
- प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट

स्मार्ट मीटर्स

7.19 स्मार्ट मीटरिंग एक सिस्टम को सुधारने का और सही ऊर्जा अंकेक्षण का प्रयास है जो कि डिस्कॉम को उदय योजना के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्र में 24 घन्टे विद्युत उपलब्ध कराने के प्रयास के लिए एलटी/एचटी उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटरों की स्थापना पर विचार किया है। सभी नोड़ल बिन्दुओं पर मीटरिंग के साथ ऊर्जा के अंकेक्षण में सुधार होगा जिससे कि प्रशासकीय कार्यों और डिमान्ड साईड योजना में मदद मिलेगी। एएमआई न केवल मीटर रीडिंग की कोस्ट को कम करेगी बल्कि खराब मीटरों की पहचान भी समय पर करने में सहायक सिद्ध होगी, बिलिंग क्षमता में मानवीय त्रुटियों की कमी के साथ सुधार करेगी।

7.20 इसके लिए आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि की मांग की गई है जो कि आवश्यक केपेक्स की 60 प्रतिशत होगी।

7.21 इसी प्रकार दूसरे प्रयासों की भी योजना बनाई गई है जो कि प्राक्कलित मूल्य के साथ निम्न सारणी में सूचीबद्ध किये गये है :–

सारणी 35: योजनागत सूचना तकनीक के प्रयास

विशिष्टियाँ	प्राक्कलित मूल्य (करोड़ रू0)
सास (SAAS) आधारित राजस्व प्रबन्ध तंत्र	11.50
सास (SAAS) आधारित फीडर निगरानी तंत्र	1.80
सप्लाई, डीटी मीटर्स और मोडम्स की स्थापना	30.00
उपभोक्ता मीटर पर मोडम्स और एएमआर के द्वारा मासिक मीटर रीडिंग	
सास (SAAS) आधारित स्मार्ट उपभोक्ता केयर सिस्टम	62.00
ईआरपी	12.00
स्मार्ट मीटर्स (ओपेक्स मूल्य)	10.00
सास (SAAS) आधारित उपखण्ड़ स्टोर्स/एसीएस में आईपी आधारित सीसीटीवी निगरानी सिस्टम की स्थापना	2.50
ई–ऑफिस सिस्टम की स्थापना	2.00
सास (SAAS) आधारित वेन्डर सेल्फ सर्विस सिस्टम की स्थापना	0.50

टैरिफ युक्तिकरण

7.22 लेकिन याचिकाकर्ता संसाधनों के बेहतर उपयोग, बेहतर राजस्व प्रबन्धन और कुछ मुद्दों पर स्पष्टता के लिये कुछ टैरिफ युक्तिकरण प्रस्तावित करता है।

7.33 याचिकाकर्ता वर्ष 2018–19 के लिये संसाधनों के बेहतर उपयोग, वित्तीय मूल्य और बेहतर राजस्व प्रबन्ध के लिये कुछ टैरिफ युक्तिकरण के उपाय प्रस्तावित करता है।

शीघ्र भुगतान पर छूट

7.34 एक प्रोत्साहन राशि 0.15 प्रतिशत की ऊर्जा और स्थाई प्रभारों पर दी जा रही है यदि बिल का भुगतान ड्यू दिनांक से 7 दिन पूर्व किया जाता है। याचिकाकर्ता ने अपनी पूर्व की याचिका में अपने नकदीकरण के प्रवाह में सुधार हेतु एक दूसरा प्रावधान प्रस्तावित किया था। तदनुसार याचिकाकर्ता ने भुगतान ड्यू दिनांक से 10 दिन पूर्व करने पर ऊर्जा और स्थाई प्रभारों पर अगले बिल में 0.35 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि प्रस्तावित की थी। माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 02 नवम्बर 2017 के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया है।

7.35 यहां यह उल्लेखनीय है कि नकदीकरण के प्रवाह में सुधार हेतु ऊर्जा क्रय के बिलों का ऊर्जा संयंत्रों को समय पर भुगतान किया जाता है। संयंत्रों को भुगतान पर छूट तभी मिलती है जबकि ड्यू दिनांक से पर्याप्त दिनों पूर्व भुगतान किया जाता हो। इस प्रावधान में कार्यशील दिवसों का वर्णन नहीं है। याचिकाकर्ता ने 0.35 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि को प्रस्तावित करते समय इसको ध्यान में रखते हुए 10 कार्य दिवसों की बजाय 10 दिवस का प्रावधान किया है

7.36 इसी प्रकार याचिकाकर्ता ऊर्जा और स्थाई प्रभारों पर 0.15 प्रतिशत की दी जाने वाली छूट में संशोधन करते हुए 7 कार्य दिवसों की बजाय 7 दिवस का प्रावधान प्रस्तावित करता है

एल.टी. उपभोक्ताओं को एच.टी. सप्लाई

7.37 वर्तमान परम्परा के अनुसार यदि एक एल.टी. उपभोक्ता को एच.टी. सप्लाई दी जाती है और मीटर एच.टी. साईड में उपलब्ध कराया जाता है तो उसे 7.50 प्रतिशत की छूट (ऊर्जा और स्थाई प्रभारों पर) प्रदान की जाती है। यदि एल.टी साईड में उपलब्ध कराया जाता है तो ट्रान्सफार्मर की हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए 3 प्रतिशत उपभोग जोड़ा जाता है और तब 7.50 प्रतिशत की छूट बिल्ड राशि पर दी जाती है।

7.38 उपरोक्त प्रावधान एच.टी. उपभोक्ताओं जो कि 33 केवी सप्लाई पर है दी जाने वाली वोल्टेज रिबेट की छूट के अनुरूप है। वोल्टेज रिबेट के सम्बन्ध में माननीय आयोग ने अपने

आदेश 02.11.2017 में यह पाया है कि उच्च वोल्टेज पर विद्युत लेने पर उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की बिजली का लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पर विद्युत लेना विद्युत उपभोक्ताओं के हित में भी है।

7.39 याचिकाकर्ता उच्च वोल्टेज पर विद्युत देने से लाभान्वित होता है क्योंकि उच्च वोल्टेज पर सप्लाई देने से वितरण हानियां कम होती है और स्थाई प्रभारों पर कोई प्रभाव नहीं होता।

7.40 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए माननीय आयोग ने वितरण निगमों को सिर्फ ऊर्जा प्रभारों पर वोल्टेज छूट देने के निर्देश दिये हैं बजाय इसके कि स्थाई और ऊर्जा प्रभार दोनों पर छूट दी जाये।

7.41 आयोग के आदेश दिनांक 02.11.2017 के सिद्धान्तों के अनुरूप याचिकाकर्ता माननीय आयोग से एल.टी. टैरिफ के उपभोक्ता जो कि एच.टी. सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं को दी जाने वाली छूट को सिर्फ ऊर्जा प्रभार पर संशोधित करने का प्रस्ताव करता है। सम्बन्धित अनुच्छेद निम्नानुसार पुनः परिभाषित किया जा सकता है।

''यदि एक एल.टी. उपभोक्ता एच.टी. सप्लाई प्राप्त करता है जिसमें कि मीटर एच.टी. साईड में 7.50 प्रतिशत की छूट ऊर्जा प्रभारों पर दी जायेगी। यद्यपि डिस्कॉम अपनी इच्छा पर मीटर को ट्रान्सफार्मर के एल.टी. साईड पर भी लगा सकता है और ऐसे प्रकरणों में ट्रान्सफार्मेशन की हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए 3 प्रतिशत दर्ज किये गये उपभोग में जोड़ा जायेगा और उसके पश्चात 7.50 प्रतिशत छूट ऊर्जा प्रभारों को दी जायेगी।''

उद्योगों की परिभाषा

7.42 टैरिफ शिड्यूल में उद्योगों की कई प्रकार की श्रेणियां है जैसे कि लघु, मध्यम एल.टी., मध्यम एच.टी. और वृहद् उद्योग।

7.43 टैरिफ की उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में उद्योगों की एक वृहत सूची है। कोई भी उपभोक्ता जिसका कि उद्योग उपरोक्त सूची में नहीं आता है वह अघरेलू श्रेणी में कवर होता है। इससे उपभोक्ता को शिकायत होती है।

7.44 इस तरह की शिकायतों से बचने के लिए और स्पष्टता के लिए याचिकाकर्ता माननीय आयोग से उपरोक्त उद्योगों की सूची के अतिरिक्त एक सामान्य उद्योग की परिभाषा उपलब्ध कराने की प्रार्थना करता है। याचिकाकर्ता यह भी सिफारिश करता है कि यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाये कि उपलब्ध कराई गई सूची मात्र सांकेतिक है और

7.45 याचिकाकर्ता निम्नलिखित परिभाषा प्रस्तावित करता है :–

''यह टैरिफ औद्योगिक उपभोक्ताओं* और निम्नलिखित उपभोक्ताओं जैसे प्रिटिंग छापाखाना, सरकारी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कॉटेज इण्डस्ट्रीज (जैसे जरी का कार्य, चांदी और सोने के तारों का कार्य, जैम पत्थरों की पॉलिश), हैचरीज, रीको की जलप्रदायें योजनाएं, ट्रस्ट/लोकल बॉडीज को विद्युत प्रदाय हेतु जल योजना, पम्पिंग स्टेशन, पम्पिंग बैक सीपेज वाटर बाई आईजीएनपी, हैन्डीक्राफ्ट, वस्त्र उद्योग, डाईंग और प्रिंटिग उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, आईओसी/एचपीसी इत्यादि, जयपुर मैट्रों और रेल्वे ट्रेक्शन लोड, फ्लोर मिल्स, सॉफ्टवेयर यूनिट्स, सूचना प्रौद्योगिकी जो कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो और जिनका उद्देश्य औद्योगिक प्रौद्योगिकी का हो या जो कि उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार में राज्य सरकार की आईटी नीति के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो।

*औद्योगिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता है जो कि पदार्थों को भौतिक और रासायनिक रूप से नये उत्पाद में परिवर्तित करते हो। ये पदार्थ ऐसा कच्चा माल है जो कि कृषि, वन, मछलीपालन के कार्य, माइनिंग से प्राप्त होते है।''

हॉस्टलों की परिभाषा

7.46 ऐसे हॉस्टल जो कि राज्य सरकार या राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चालित हो और चेरिटेबल संस्थाओं में पंजीकृत हो। ऐसे हॉस्टलों का वर्गीकरण घरेलू श्रेणी में किया जायेगा।

7.47 उपरोक्त के अतिरिक्त सभी हॉस्टल घरेलू श्रेणी में कवर नहीं किये जायेंगे और उनका वर्गीकरण अघरेलू श्रेणी में होगा।

7.48 बहुत सारे उदाहरणों में यह देखा गया है कि निवास स्थान की जगह को किराये पर दे दिया जाता है। लेकिन बहुत से उपभोक्ता ऐसे स्थानों को किराये पर देकर वाणिज्यिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। हॉस्टलों के बिना उचित परिभाषा के फील्ड अधिकारियों के लिए एक को दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

7.49 याचिकाकर्ता अघरेलू श्रेणी में निम्न टिप्पणी प्रस्तावित करता है :–

''ऐसे निवास स्थान जिनमें कि तीन कमरें या 6 बैड हो (जो भी कम हो) और जो हॉस्टल के उपयोग में लाये जा रहे हो उनको हॉस्टल नहीं माना जायेगा और ऐसे हॉस्टलों पर घरेलू श्रेणी लागू होगी''

अ 8 माननीय आयोग के टैरिफ आदेश 02.11.2017 के दिशा–निर्देशों का पालन :–

8.1 निम्नलिखित अनुच्छेद निर्देशों की प्रकरणवार पालना को सारांशित करता है।

8.2 यहां यह उल्लेखनीय है कि आयोग के निर्देश 02.11.2017 के आदेश में अधिसूचित किये गये हैं प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर को एआरआर और टैरिफ पीटीशन दायर करने के सम्बन्ध में यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता सभी निर्देशों का विश्लेषण करने में समर्थ नहीं हुआ है और इनको क्रियान्वित करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी यद्यपि याचिकाकर्ता ने इस याचिका में निर्देशों की पालना को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है फिर भी यह निवेदन किया जाता है कि सम्पूर्ण पालना के लिए अतिरिक्त समय दिया जाये।

मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहीकरण

8.3 डिस्कॉम माननीय आयोग द्वारा उठाये गये प्रकरणों जैसे एएमआर मीटरिंग, ई–बिलिंग और ई–कलेक्शन को स्वीकार करता है। डिस्कॉम इस दिशा में बड़े जोर–शोर से कार्य कर रहा है। वर्तमान कार्य एवं जिम्मेदारियों को दुबारा से निर्धारित किया गया है और गैर आरएपीडीआरपी क्षेत्रों में प्रत्येक 11 केवी फीडर के लिए एक फीडर इन्चार्ज की नियुक्ति की गई है। फीडर इन्चार्ज विभिन्न फीडर के विभिन्न कार्यों के लिए जैसे मीटरिंग, बिल संग्रहण और हानियों में कमी के लिए जिम्मेदार होगा। फीडर इन्चार्ज को प्रेरित करने के लिये प्रोत्साहन योजनाऐं प्रस्तावित की गई है, जिसमें कि फीडर इन्चार्ज को हानियों को 15 प्रतिशत के स्तर तक लाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

8.4 उपरोक्त पुनर्गठन लाभदायक सिद्ध होगा और ऊर्जा अंकेक्षण के लिये एक रास्ता दिखायेगा क्योंकि यह याचिकाकर्ता के ढ़ांचे को भौगोलिक ढ़ांचे की जगह विद्युत ढ़ांचे के अनुरूप संगठित करता है।

8.5 एक नया सूचना प्रौद्योगिकी का तंत्र विकसित किया जा रहा है जो कि मीटर रीडिंग और बिलों को जारी करने के बीच के समय को कम करेगा। नया तंत्र त्रुटि मुक्त बिलों को जारी करेगा और औसत बिलिंग के प्रकरणों में कमी आयेगी। यह भी निवेदन किया जाता है कि मीटर रीडर/कर्मचारी के ऐसे प्रकरणों में जिनमें वे उपभोक्ताओं से मिलीभगत करते हैं, में कमी आयेगी। इससे उपभोक्ताओं की शिकायतों जैसे टेस्टिंग/खराब मीटरों का परिवर्तन, में भी कमी आयेगी।

सतर्कता कार्यवाहियों में वृद्धि

8.6 याचिकाकर्ता सतर्कता कार्यवाहियों के महत्व को समझता है। हाल ही में याचिकाकर्ता ने सतर्कता अभियानों पर फोकस किया है और कार्यवाहियाँ बढ़ा दी गई है। यह डिस्कॉम द्वारा इसके प्रति वचनबद्धता का प्रमाण है। याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित कर रहा है कि ऐसे उपभोक्ता जो कि बिजली की चोरी/दुरूपयोग में लिप्त है उनको उचित दण्ड़ मिले। इसलिए ऐसे उचित

प्रकरणों में समझौता राशि का लाभ देने के बजाय याचिकाकर्ता दण्ड़ात्मक कार्यवाहियां कर रहा है जैसे उपभोक्ता और दूसरे लोगों जो कि इसका षडयंत्र करते हैं उनके विरूद्ध मुकदमा चलाना जिससे कि लोग बिजली चोरी से बच सके। सतर्कता कार्यवाहियों और इसके परिणामों की तुलना पिछले साल और इस साल के सितम्बर महिने तक निम्नलिखित सारणी में सारांशित की गई है :–

सारणी 35 : सतर्कता कार्यवाहियों में वृद्धि

विशिष्टियाँ	प्राक्कलन (करोड़ रू0)	प्राप्तियाँ (करोड़ रू0)	एफआईआर दर्ज (नम्बर्स)	गिरफ्तारियों की संख्या (नम्बर्स)
विव 2015–16 (सितम्बर तक)	85.00	31.33	6513	166
विव 2016–17 (सितम्बर तक)	103.20	47.50	7093	276
प्रतिशत वृद्धि	**21 प्रतिशत**	**52 प्रतिशत**	**9 प्रतिशत**	**66 प्रतिशत**

मसिक बिलिंग

8.7 यह निवेदन किया जाता है कि माहवार बिलिंग नये बिलिंग तंत्र के क्रियान्वन के पश्चात की जायेगी। प्रारम्भ में यह तंत्र गैर आरएपीडीआरपी क्षेत्रों में लागू किया जायेगा। डिस्कॉम वर्तमान बिलिंग तंत्र को सुधारने और इनमें उचित मानव शक्ति लगाने की सम्भावनाओं को तलाश रहा है जिससे कि डिस्कॉम के सभी क्षेत्रों में इसे लागू किया जा सके।

लोड/डिमान्ड आधारित बिलिंग

8.8 जैसाकि माननीय आयोग ने निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता लोड/डिमान्ड आधारित बिलिंग को क्रियान्वित करने और आवश्यक मीटरों की स्थापना करने की संभावनाऐं तलाशेगा। जैसाकि 02 नवम्बर 2017 के टैरिफ आदेश के अनुसार डिस्कॉम माननीय आयोग से इस दिशा से एक विस्तृत निर्धारण और उचित प्रस्ताव अगली याचिका के साथ प्रस्तुत करने के लिये अतिरिक्त समय का निवेदन करता है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

8.9 डिस्कॉम ने अपने दो वृतों कोटा और भरतपुर में वितरण फ्रैंचाईजी की नियुक्ति कर दी है। इनके कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है और तदनुसार और अधिक पैरामीटर्स के साथ दूसरे वृतों में भी इसको लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

विद्युत क्रय पर नियंत्रण

8.10 याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि कुल खर्चे में ऊर्जा क्रय का एक बड़ा हिस्सा है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम राज्य सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों के लिए ऊर्जा ट्रेडिंग के कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है। ऊर्जा विकास निगम पर ऊर्जा क्रय के खर्चों पर नियंत्रण और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी है। ऊर्जा विकास निगम प्रतिदिन यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा मैरिट प्रणाली से क्रय की जाये और ऊर्जा का ओवर ड्रावल और अन्डर ड्रावल नियंत्रित किया जाये, व्यापारिक रूप से ऊर्जा क्रय/विक्रय के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिये जाये। ऊर्जा विकास निगम दीर्घावधि के पीपीए की समीक्षा कर रहा है जिससे कि ऊर्जा क्रय के मूल्य में कमी की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

विलम्ब से भुगतान पर प्रभार और ब्याज प्रभार पर नियंत्रण

8.11 याचिकाकर्ता अपने ब्याज के खर्चों को कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्युत संयंत्रों के बिलों को समय पर भुगतान किया जाये और किसी प्रकार का विलम्ब भुगतान प्रभार इकट्ठा नहीं हो। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि विलम्ब प्रभार भुगतान देने की बजाय याचिकाकर्ता अब शीघ्र भुगतान पर छूट का उपयोग कर रहा है। यह डिस्कॉम के प्रयासों का स्पष्ट संकेत है।

कृषि क्षेत्र को दिन में बिजली

8.12 माननीय आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये तथ्य बहुत प्रासंगिक हैं और बहुत महत्व के हैं। वितरित उत्पादन और माइक्रो ग्रिड्स का ग्रिड सप्लाई के साथ कार्य करना विद्युत सप्लाई की विश्वसनीयता और समयावधि को सुधारने का एक बड़ा उपाय है। इस तरह का कार्य करने के लिये विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है और याचिकाकर्ता इस कार्य को करने और अगली याचिका के साथ प्रस्तुत करने के लिये अतिरिक्त समय की प्रार्थना माननीय आयोग से करता है। फिर भी यहां यह उल्लेखनीय होगा कि वर्तमान ऊर्जा परिदृश्यों को देखते हुए स्ट्रेण्डेड क्षमता के भार का सामना कर रहा है जो कि इसकी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ रहा है।

सेवा सुधार पर फोकस

8.13 याचिकाकर्ता अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की सेवायें देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। डिस्कॉम के अधिकारियों की गुणवत्ता के सुधसार के लिये नियमित रूप से प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। नये भर्ती होने वालों को कार्य पर लगाने से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और नियमित रूप से तंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य प्रशिक्षण के सैशन आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त मानव शक्ति की आवश्यकता का नियमित रूप से विश्लेषण किया जा रहा है और तदनुसार भर्तियां की जा रही है।

कर्मचारी और उपभोक्ता शिक्षा

8.14 उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की सेवायें देना डिस्कॉम का अन्तिम लक्ष्य है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण के लिये याचिकाकर्ता विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रहा है। इनकी शिकायतों के निराकरण के लिये उपभोक्ता निराकरण शिकायत मंच स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा नियमित रूप से चौपाल आयोजित की जाती है जहां पर उपभोक्ता अपनी शिकायतों के साथ आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिस्कॉम विभिन्न प्लेटफार्म जैस विज्ञापन और सोशल मीड़िया को भी उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिये उपयोग में लाता है।

सुरक्षा के उपाय

8.15 वितरण क्षेत्र में सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है जिसको कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिस्कॉम अपने कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिये वचनबद्ध है। सुरक्षा पर और अधिक फोकस करने के लिये विभिन्न उपाय काम में लिये जा रहे हैं।

8.16 मजदूर संघों को सुरक्षा प्रशिक्षण और तकनीकी कार्यकर्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है। अधीक्षण अभियन्ताओं को लम्बित जांचों को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिये गये हैं जिससे कि दुर्घटनाओं के कारणों का पता चल सके और तदनुसार कार्यवाही की जा सके। डिस्कॉम डीसीएफ ने अपनी मीटिंग में सुरक्षा उपकरणों और इसकी विधियों को अनुमोदित कर दिया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण जैसे विद्युत रोधी जूते, हेलमेट्स और रबर के हाथों के ग्लॉव्स तथा सेफ्टी बैल्ट, अर्थिंग चैन इत्यादि प्रत्येक तकनीकी सहायक को उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है। तकनीकी सहायकों को यह अधिकार दिया गया है कि इन सुरक्षा उपकरणों के अभाव में वे कार्य करने से मना कर सकते हैं।

8.17 वरिष्ठ अधिकारियों की वृत स्तर पर 33/11 केवी सब–स्टेशनों के निरीक्षण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और तकनीकी सहायकों को व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिये गये हैं। एक सुरक्षा और प्रशिक्षण सेल का गठन किया गया है और तकनीकी अधिकारियों को सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है।

8.18 वितरण निगमों के अध्यक्ष ने सभी प्रबन्धकों को यह निर्देश दिये हैं कि 5 प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर निराकरित की जाये जिसमें कि संधारण में विलम्ब, झुके हुये खम्भे इत्यादि सम्मिलित है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि इस तरह के तारों को कसने और खम्भों को सीधा करने के पश्चात् ही क्लोज्ड का दर्जा दिया जायेगा।

8.19 जैसाकि उपर वर्णन किया गया है कि कर्मचारियों और उपभोक्ता की जागरूकता के नियमित सैशन आयोजित किये जाते हैं। डिस्कॉम दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे विज्ञापन और सोशल मीड़िया का भी उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिये उपयोग करता है।

ऊर्जा सम्बन्धी उपाय

8.20 याचिकाकर्ता माननीय आयोग से इसको क्रियान्वित करने के लिए निवेदन करता है कि माननीय आयोग से कुछ अतिरिक्त समय देने का निवेदन करता है।

विद्युत वाहनों को ऊर्जीकृत करने की टैरिफ

8.21 याचिकाकर्ता परिवहन के लिए पर्यावरण मित्र ऊर्जा के स्त्रोतों के महत्व को समझता है। याचिकाकर्ता चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित करने के लिये विस्तृत विश्लेषण करेग और अगली टैरिफ पीटीशन के साथ प्रस्तुत करेगा। इसी बीच चार्जिंग स्टेशन जो कि मूल रूप से वाणिज्यिक गतिविधियां कर रहे है, पर अघरेलू श्रेणी की टैरिफ लागू की जा सकती है।

आइटी और ईआरपी क्रियान्वन

8.22 याचिकाकर्ता सूचना तकनीक को अपने कार्य और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की सेवायें उपलब्ध कराने के लिये कार्य कर रहा है। जिसमें कि उपभोक्ताओं को कम से कम पेरशानी हो। डिस्कॉम ने एक ईआरपी क्रियान्वन के लिये एक डीपीआर तैयार की है और यह पीएफसी से अनुमोदन के लिये प्रक्रिया में है।

8.23 याचिकाकर्ता ने ईआरपी क्रियान्वन के लिये वित्त और लेखे, पदार्थ प्रबन्ध, प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट और मानव संसाधन प्रबन्ध के लिये योजना बनाई है जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये स्वयं सेवा भी सम्मिलित है।

8.24 डिस्कॉम ने विभिन्न मोबाईल एप्स जैसे बिजली मित्र, बिजली प्रबन्ध, फीडर इन्चार्ज इत्यादि विकसित किये हैं इन एप्सों का लक्ष्य घटना होने और उसके लिये कोई एक्शन लेने के बीच के अन्तर को कम करने का लक्ष्य है। यह एप्स ट्रान्जेक्शनल स्तर पर सुधार करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि फीडरों के स्वास्थ्य का डेटा, वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे बकाया का संग्रहण इत्यादि सम्मिलित है। डेटा की उपलब्धता विश्लेषण उपायों के साथ मैनेजमेन्ट को तेज और अच्छे निर्णय लेने में मदद करेगी।

8.25 इसके अतिरिक्त सूचना तकनीक पर आधारित जैसे राजस्व प्रबन्ध सिस्टम और स्पॉट बिलिंग, फीडर मॉनिटरिंग इत्यादि भी डिस्कॉम की क्षमता को सुधारने के लिये प्लान किये गये

हैं।

अ 9: प्रार्थना

9.1 जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. आयोग से निवेदन करता है कि –

- वर्ष 2018–19 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता की याचिका को स्वीकार करने के लिये।
- वर्ष 2017–18 की राजस्व आवश्यकता की संशोधित प्राक्कलनों की समीक्षा।
- वर्ष 2018–19 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में प्रस्तावित प्रक्षेपणों की विधि और सिद्धान्तों का अनुमोदन।
- सूचना तकनीक के प्रयासों को अनुमोदित करना।
- याचिकाकर्ता द्वारा टैरिफ शिड्यूलों में प्रस्तावित परिवर्तन अनुमोदित करना।
- इस याचिका में आवश्यकता होने पर पुनः प्रस्तुतिकरण व संषोधन आदि करने का अवसर प्रदान करें।
- माननीय आयोग द्वारा उचित आदेश प्रसारित करना।